स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–6, ज्येष्ठ–आषाढ़ 2068, जून 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

अनशन समाप्त करने से मना करने वाले बाबा पर जानलेवा हमला ही करवा दिया। क्या पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश नहीं गया है कि हो न हो सरकार के कुछ लोग ही नहीं चाहते कि काला धन वापस भारत में आए या किसी का नाम उजागर हो।

अनुक्रम

आवरण लेख
साख पर बट्टा दमन का रास्ता – विक्रम उपाध्याय /4

कृषि
खेती की खतरनाक खरीद – देविंदर शर्मा /7

अर्थतंत्र
एकाधिकार की समस्या – डॉ. भरतझुनझुनवाला /10

गरीबी
बेमानी होती गरीबी – डॉ अश्विनी महाजन /12

मुद्दा
झुग्गी विहीन भारत का सपना – जगमोहन /15

सामयिकी
भारी पड़ता अमेरिकी स्वार्थ – ब्रह्म चेलानी /18

तर्क–वितर्क
सोया हुआ देश – निरंकार सिंह /21

पशुधन
ऊंट के अस्तित्व पर खतरा – उमेश प्रसाद सिंह /25

सवाल
क्या कभी चीन भारत पर आक्रमण करेगा. . .? – डॉ. घनश्याम वत्स /26

महंगाई
तेल की कमाई – सरकार बनी कसाई – आलोक पुराणिक /28

स्वदेशी संवाद
खतरे में खुदरा व्यापार /30

प्रतिक्रिया : सरकार ने उड़ाया लोकतंत्र का मजाक – अवधेश कुमार /33

पाठकनामा/2, प्रेस विज्ञप्ति/35, आंदोलन/36

पाठकनामा

सरकार ने उड़ाया लोकतंत्र का मजाक

गांधी के देष में गांधी के अनुयायीयों ने गांधी के मूल मंत्र सत्य, अंहिसा एवं सत्याग्रह को दफन कर दिया। साथ ही बाबा रामदेव के सत्याग्रह का दमन कर सरकार ने यह साबित कर दिया कि विदेषों में जमा काला धन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार के प्रमुख लोगों का है। सरकार क्यों बाबा के अनषन से खौफ खाए बैठी है? बाबा का अनषन क्यों बर्बरतापूर्वक रोक दिया गया। यह अनषन सरकार होने देती व अनषन सफल होने में सरकार को क्या खतरा था? अनषन सफल होता तो ज्यादा से ज्यादा भारत की जनता जाग्रत हो जाती और भ्रष्टाचार व कालेधन के खिलाफ लामबद्व हो जाती। तो क्यों भारत सरकार देष की जनता के जाग्रत होने के खिलाफ है। भारत सरकार भ्रष्टाचार एवं कालेधन के विरूद्ध एकजुट होने के खिलाफ है। गत 64 वर्षो में कांग्रेस पारंगत हो गई है कि देष में 275 आदमियों को खरीद कर रखों और सम्पूर्ण भारत में अपनी मनमानी करो। कांग्रेस की देषहित व विकास की सब बातें छलावा है।

– पकंज मीणा, मकान नं. 13, पथ नं. 4, विजयवाड़ी, विद्या नगर, जयपुर, राजस्थान

बढ़ रहा है कन्या भ्रूण हत्या

मैं स्वदेशी पत्रिका काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ और मुझे स्वदेशी पत्रिका में उठाए गए कई मुद्दे काफी अच्छे लगते हैं। परंतु मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप गिरते लिंगानुपात पर कुछ नहीं लिख रहे हैं। आज पूरे भारत में लिंगानुपात निरंतर गिरता जा रहा है। लोग पढ़े–लिखे होने के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं जो काफी चिंताजनक विषय है। कभी कन्या भ्रूण हत्या का दोष अशिक्षित वर्ग को दिया जाता था परंतु आज शिक्षित वर्ग ही कन्या भ्रूण करने पर तुला हुआ है। इसी का नतीजा है कि 0–6 आयु वर्ग के बीच के 2001 में 1,000 लड़कों के पीछे देश में जहां 927 लड़कियां थी। वहीं वर्ष 2011 में उनकी संख्या घटकर 914 रह गई है। हरियाणा और पंजाब की बालिका विरोधी मानसिक बीमारी अब मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और जम्मू–कश्मीर तक फैल गई है। इन राज्यों में 0–6 आयु वर्ग के बीच चौंकाने वाले आंकड़ों ने नेताओं और डॉक्टरों व इनके कारिंदों की पोल खोल दी है। देश के 27 राज्यों में लिंगानुपात गिरा है। आज पैदा होने से पहले बेटियां मारने में पहले पायदान पर हरियाणा और दूसरे पर पंजाब है। इसके अलावा देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण है कि माता–पिता का लड़की की शादी के बारे में अधिक चिंतित होना, क्योंकि समाज में दहेज प्रथा का रोग आज चर्म सीमा पर पहुंच चुका है। मेरे अनुसार आपकी पत्रिका को इस विषय पर भी चिंता करनी चाहिए साथ ही कन्या भ्रूण हत्या और दहेज के खिलाफ पत्रिका में लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए।

– अमरेश कुमार, आया नगर, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

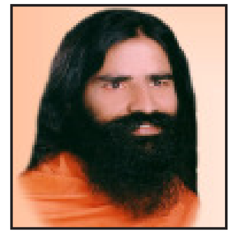

लोग पूछते है कि आप तो योगी हैं, आपको भ्रष्टाचार से क्या सरोकार। मैं कहता हूँ कि यह योग का विस्तार है। चोरी नहीं करना योग है, सच बोलना योग है, अच्छा आचरण योग है।

– बाबा रामदेव

रामदेव बाबा सबसे बड़ा ठग है।

– दिग्विजय सिंह

रामदेव शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे फिर भी उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार सबसे बड़ी ठग है।

– मुलायम सिंह

रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ वह जालियांवाला बाग से कम नहीं था।

– अन्ना हजारे

बाबा का जो काम है वो करें राजनीति नहीं करे।

– कपिल सिब्बल

अपनी ही परछाई से हैं वे परेशान

कांग्रेस के नेताओं और मनमोहन सिंह के मंत्रियों को आजकल अपना चेहरा देखकर ही डर लग रहा है। इसलिए जो कोई भी इन्हें आइना दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उन्हें काट खाने को दौड़ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं को ताक पर रखकर वे गली के गुंडे की तरह बर्ताव करने लगे हैं। सत्ता में होने के दंभ ने उन्हें और निरंकुश बना दिया है। कहने को वे जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन जनता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही तरीके अपनाने से उन्हें जरा भी परहेज नहीं है। एक दो घटनाओं की बात नहीं। जब से अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाने की मुहिम शुरू की है, तभी से ही सत्ता और सत्ताधारी पार्टी बौखलाहट भरे कदम उठाती जा रही हैं। पहले अन्ना हजारे और उनके साथ जुड़े लोगों के चरित्र हनन के सारे हथकंडे अपनाए गए और अब बाबा रामदेव के खिलाफ ये हाथ धोकर पड़ी है। मुद्दों को समझने, उस पर सहानुभूमि पूर्वक विचार करने और देश में स्वच्छ शासन और प्रशासन लाने के लिए त्वरित उपाय करने में सरकार और कांग्रेस को आखिर क्यों संकोच हो रहा है। न तो अन्नाहजारे ने कभी यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के सभी लोग भ्रष्ट हैं न बाबा ने कहा कि विदेशों में जमा समूचा कालाधन केंद्र के मंत्रियों या उनके रिश्तेदारों के हैं। फिर इनके अभियान पर सरकार क्यों बौखलाए रही है। क्यों कांग्रेसी विफर रहे हैं। उनके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं। वे अपना मानसिक संतुलन क्यों खो रहे हैं। क्या सचमुंच दाल में काला है। यदि नहीं तो रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे बाबा रामदेव पर पुलिसिया जुल्म क्यों किया गया। एक दिन में ही बाबा महान से हैवान कैसे हो गए। उन्हें सार्वजनिक रूप से ठग और अपराधी क्यों करार दिया गया। क्यों उनके चरित्र को कलंकित करने का अभियान शुरू किया गया। पहले कांग्रेस और अब उनके मंत्री बड़ी शिद्दत से बाबा की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने में क्यों दिन रात एक किए हुए हैं। बाबा को नीचा दिखाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियां क्यों तैनात कर दी गई हैं। बाबा रामदेव इसी सतर्कता की तो मांग कर रहे हैं। उनकी यही तो मांग है कि कर उगाही की एजेंसियां उन लोगों का नाम उजागर करे जो गलत तरीके से पैसा उगाही कर बिना कोई कर दिए विदेशों में धन जमा कर रहे हैं। बाबा ने सरकार से यही तो कहा है कि काला धन वापस लाने से 80 करोड़ उन लोगों के लिए सरकार सबकुछ जुटा सकती है, जो दाने–दाने के लिए मुहताज हैं। जिनके लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपना पेट भरना हैं। कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं को इस मांग में षडयंत्र की बू क्यों आती है। उन्हें क्यों लगता है कि बाबा का उद्देश्य उनकी सरकार को अस्थिर करना है। कांग्रेस किसी तरह भी इस बात की आड़ नहीं ले सकती कि अन्ना या बाबा की मुहिम और मुद्दे बेमानी हैं। भ्रष्टाचार और काला धन, दोनों मुद्दों पर कांग्रेस की संलिप्तता पूरी तरह जनता के सामने आ चुकी है। लाखों करोड़ों के घोटालों के आरोप में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लोग जेल में बंद हैं। काले धन के मामले पर मनमोहन सिंह सरकार की निष्क्रियता और खामोशी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक को घोर निराशा हो रही है। एक बार नहीं कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह टिप्पणी आ चुकी है कि आखिर काले धन के मामले में सरकार अभी तक सोई क्यों है? अब भी जागने के बजाय काले धन में लिप्त लोगों को संरक्षण देने में लगी है सरकार और इस पर आईना दिखाने वालों को काट खाने को दौड़ रही है। दरअसल अन्ना और बाबा की मुहिम की तीक्ष्णता सरकार को कुछ ज्यादा इसलिए महसूस हो रही है, कि इनके अभियान को जनता का जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के मुहिम को कांग्रेस झेल जाती, क्यों वहां उसे हमाम में सभी नंगे हैं, कहने का अवसर मिल जाता। पर सीधी जनता से टकराव कैसे सहन कर सकती है। बचाव के तर्क सरकार के पास हैं नहीं। यह हथकंडा कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत संजीदा है, बुरी तरह असफल हो चुका है। अभी भी घोटाले उजागर होते जा रहे हैं। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सरकार है या लुटेरों का गिरोह। इसलिए जनता का भड़कना लाजिमी है। अंदर तक परेशान आम आदमी के लिए ये मुद्दे जीवन मरण के प्रश्न की तरह हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई तक ने लोगों के लिए जीवन बोझ बन गया है। लोग उसे ढ़ोने में खुद को असहज और असफल पाते हैं। एक तरफ सरकार वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए लगभग रोज ही चीजों के दाम बढ़ाए जा रही है और दूसरी तरफ उसके मंत्री लाखों करोड़ रुपये का घोटाला कर जनता की कमाई विदेशों में भेज रहे हैं। पर लगता है कि कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं। उसकी प्राथमिकता जनता नहीं सरकार है। सरकार को बचाए रखने के लिए वह कुछ लोगों का बलिदान लेने के लिए तैयार है। अन्ना और बाबा रामदेव पर हमले कम से कम इसी ओर इशारे कर रहे हैं पर क्या जनता उन्हें यह अवसर देगी। बाबा और अन्ना के जन इच्छाओं के प्रतीक भर हैं। असली ताकत जनता में है। कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार शायद यही भूल गई हैं।

भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में बुरी तरह घिरी कांग्रेस

साख पर बट्टा दमन का रास्ता

केंद्र सरकार अब दमन के रास्ता अख्तियार कर चुकी है। वह अन्ना और बाबा रामदेव सरीखे समाज के पुरोधाओं को नकार कर मनमाने तरीके से कानून बनाने का दंभी बयान मंत्रियों ने देना शुरू कर दिया है। जनदबाव में बिखरने से पहले कांग्रेस एक आखिरी कोशिश में लगी है कि उसकी साख बच जाए। इसके लिए वह हर उस शख्स को नीचा दिखाने में लगी है जो जनता की नब्ज पकड़ सत्ता को झकझोरने में लगे हैं।

■ विक्रम उपाध्याय

सरकार की मंशा अब स्पष्ट हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गैर राजनीतिक मुहिम से बुरी तरह घबराई केंद्र सरकार अब दमन के रास्ता अख्तियार कर चुकी है। वह अन्ना और बाबा रामदेव सरीखे समाज के पुरोधाओं को नकार कर मनमाने तरीके से कानून बनाने का दंभी बयान मंत्रियों ने देना शुरू कर दिया है। जनदबाव में बिखरने से पहले कांग्रेस एक आखिरी कोशिश में लगी है कि उसकी साख बच जाए। इसके लिए वह हर उस शख्स को नीचा दिखाने में लगी है जो जनता की नब्ज पकड़ सत्ता को झकझोरने में लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नया कानून बनाने संबधी बयान के साथ मनमोहन के मंत्री यह भी कहना नहीं भूलते कि वे किसी के आगे नहीं झुकेंगे और नए कानून में वे ही प्रावधान रखेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा।

यानी वही लोकपाल विधेयक आएगा जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायधीश को उसके अधिकार से बाहर रखा जाएगा। अन्ना हजारे के नेतृत्व में बनी समिति की अनुशंसा को धत्ता बताकर सरकार नया लोकपाल विधेयक संसद में लाएगी। अर्थात्

बाबा को यह आश्वासन देते रहे कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाकर विदेशी बैंकों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए अध्यादेश लाएगी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों सरकार को इसमें अपने लिए खतरा नजर आने लगा। खतरा भी कम या छोटा नहीं, इतना बड़ा कि अनशन समाप्त करने से मना करने वाले बाबा पर जानलेवा हमला ही करवा दिया।

भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प सरकार कमजोर कानून के रूप में पूरा करेगी।

देश में लोकपाल विधेयक की आखिर जरूरत ही क्यों है? जब पहले से ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून मौजूद हैं। लेकिन सबको मालूम है कि इन कानूनों में कितने छेद हैं। जिनके खिलाफ सीधे भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें भी सजा बमुश्किल से मिल पाती है। मौजूदा कानूनों की सबसे बड़ी कमजोरी ही यह है कि वे

घटनाओं और साक्ष्यों के आधार पर तो कार्रवाई के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते।

यदि मंत्रिपद सामूहिक जिम्मेदारी है तो मंत्रियों द्वारा किए गए घोटाले के लिए वे ही सिर्फ क्यों जिम्मेदार हैं। ये तथ्य अब सबको पता है कि टू जी घोटाले की जानकारी प्रधानमंत्री को पहले ही थी। एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय को लगाातार हो रही अनियमितताओं से अवगत कराया गया। दूरसंचार मंत्री के रूप में ए राजा लगातार मनमानी कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री बखूबी जानते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ही क्यों, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय भी सभी गड़बड़ियों से वाकिफ थे। फिर भी देश लुटता रहा।

अब जब कि घोटालों का पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है तो अकेले संचार मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों को दोषी माना जा रहा है। यदि एक सशक्त लोकपाल का गठन हो जाए और प्रधानमंत्री के पद को भी जांच के दायरे में ले आया जाए तब जाकर कहीं भ्रष्टाचार पर सार्थक प्रहार हो सकेगा। पर कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। उसके मंत्री अर्नगल बयानों से इस अति गंभीर विषय को भी हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

काले धन के मामले में भी कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक नेता कहते हैं कि बाबा के पास यह आकड़ा कहां से आया कि देश का चार लाख करोड़ का काला धन विदेशों में जमा है। वे पूछते हैं कि यह आकड़ा कहां से आया। जाहिर है अभी तक किसी भी औपचारिक स्रोत से काले धन का पता नहीं चल पाया है लेकिन जिनका भी नाम अभी तक सामने आया है और जिनके खाते में जमा रकम की जानकारी मिली है वह एक आकलन के लिए काफी है।

काले धन के मामले में भी कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक नेता कहते हैं कि बाबा के पास यह आकड़ा कहां से आया कि देश का चार लाख करोड़ का काला धन विदेशों में जमा है। वे पूछते हैं कि यह आकड़ा कहां से आया। जाहिर है अभी तक किसी भी औपचारिक स्रोत से काले धन का पता नहीं चल पाया है लेकिन जिनका भी नाम अभी तक सामने आया है और जिनके खाते में जमा रकम की जानकारी मिली है वह एक आकलन के लिए काफी है।

पुणे के अली हसन के बारे में खुद आयकर विभाग और पर्वतन निदेशालय यह बता रहे हैं कि उसके स्विस बैंक अकाउंट में लगभग आठ अरब डॉलर जमा थे। यह रकम उसने भारत से हवाला

देश में लोकपाल विधेयक की आखिर जरूरत ही क्यों है? जब पहले से ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून मौजूद हैं। लेकिन सबको मालूम है कि इन कानूनों में कितने छेद हैं। जिनके खिलाफ सीधे भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें भी सजा बमुश्किल से मिल पाती है। मौजूदा कानूनों की सबसे बड़ी कमजोरी ही यह है कि वे घटनाओं और साक्ष्यों के आधार पर तो कार्रवाई के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते।

के जरिए विदेश भेजा था। हसन अली ही नहीं, पूरी दुनिया को अपने खुलासे से हिला देने वाली वेब साइट विकीलिक्स ने भी यह दावा किया है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक काला धन भारतीयों के पास ही है और स्विस बैंक में सबसे अधिक रकम भारतीयों के ही जमा हैं। सरकार ने कभी भी विकीलिक्स के इस दावे का खंडन नहीं किया। इस बात में भी कोई षंका नहीं कि विदेषी बैंकों में अपनी काली कमाई जमा करने वाले भारतीयों में व्यापारियों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ और अफसर ही हैं।

सरकारी अधिकारियों से पूछताछ में कथित रूप से हसन अली ने यह स्वीकार किया है कि उसके विदेशी अकाउंट में कुछ राजनीतिज्ञों के पैसे भी हैं। अब सरकार से कोई पूछे कि क्यों वह इस बहस में लगी हैं कि कितना काला धन विदेशों में जमा हैं। यदि सरकार के पास इस बात की सूचना है कि भारत के कुछ लोग गैरकानूनी ढंग से पैसा विदेशों में जमा कर रहे हैं तो कार्रवाई के लिए यह काफी है। लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को झूठा ठहराने में लगी है, जो इस मुद्दे पर एक ठोस जवाब चाहते हैं। इस मामले में उस समय सरकार खुद को घिरा पाती है, जब यह बहाना बनाती है कि कार्रवाई के लिए उसके पास कोई कानून नहीं है। सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों से बंधी हुई है।

अब यही सरकार आयकर विभाग के जरिए यह कानून बनाने का दावा कर रही है कि यदि कर चोरी में कोई पकड़ा जाता है तो न सिर्फ उस पर अर्थ दंड लगाया जाएगा, बल्कि उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। मालूम नहीं कि वह कानून कब बनेगा। यदि यह कानून बन भी जाए तो भी काले धन से जुड़े इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं होता कि जो धन विदेशी बैंकों में जमा हो चुके हैं, वे भारत में कैसे लाये जाएंगे।

स्वामी राम देव ने यही तो मांग की थी कि अब तक विदेशी बैंकों में जमा सभी काले धन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया जाए ताकि सरकार उन्हें जब्त कर सके। इसके लिए जरूरी कानून बनाने के लिए जनदबाव ही तो बाबा राम देव बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार के कई मंत्रियों को पता नहीं अपने पर ही क्यों खतरा नजर आने लगा।

वे पहले तो बाबा को यह आश्वासन देते रहे कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाकर विदेशी बैंकों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए अध्यादेश लाएगी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों सरकार को इसमें अपने लिए खतरा नजर आने लगा। खतरा भी कम या छोटा नहीं, इतना बड़ा कि अनशन समाप्त करने से मना करने वाले बाबा पर जानलेवा हमला ही करवा दिया।

क्या पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश नहीं गया है कि हो न हो सरकार के कुछ लोग ही नहीं चाहते कि काला धन वापस भारत में आए या किसी का नाम उजागर हो। ❑

पूरी दुनिया में सबसे अधिक काला धन भारतीयों के पास ही है और स्विस बैंक में सबसे अधिक रकम भारतीयों के ही जमा हैं। सरकार ने कभी भी विकीलिक्स के इस दावे का खंडन नहीं किया। इस बात में भी कोई शंका नहीं कि विदेशी बैंकों में अपनी काली कमाई जमा करने वाले भारतीयों में व्यापारियों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ और अफसर ही हैं।

खेती की खतरनाक खरीद

ग्रामीण भारत से 40 करोड़ लोगों के संभावित विस्थापन से भारत अब तक विश्व में हुए सबसे बड़े पर्यावरणीय विस्थापन का साक्षी बन जाएगा। यह अवधारणा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा। मेरा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत और चीन के 80 करोड़ लोग गांवों से शहरों की ओर कूच कर जाएंगे। जिन करोड़ों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्हें कृषि शरणार्थी कहा जा सकता है...इस भयानक रफ्तार से विस्थापन के कारण कितने गंभीर सामाजिक–आर्थिक और साथ ही राजनीतिक संकट खड़े हो सकते हैं?

विश्व बैंक का कहना है कि इन लोगों को इन संसाधनों से बेदखल कर देना चाहिए और भूमि उन लोगों को सौंप देनी चाहिए जो इसका कुशलता से उपयोग कर सकें और वास्तव में ये लोग कॉरपोरेट क्षेत्र के ही हो सकते हैं। किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और अब अपने चरम पर पहुंच गई है। जिस तेज रफ्तार से सरकार भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किसानों को जमीन से बेदखल कर रही है इससे विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट गहराता जा रहा है।

■ देविन्दर शर्मा

1996 में विश्व बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉ. इस्माइल सेरेगेल्डिन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक का आकलन है कि अगले बीस वर्षों में भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में विस्थापन करने वालों की संख्या फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कुल आबादी के दोगुने से भी अधिक हो जाएगी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी करीब 20 करोड़ है। इस प्रकार विश्व बैंक का मानना था कि 2015 तक भारत में 40 करोड़ लोग गांवों से शहरों में चले जाएंगे।

मैंने समझा कि यह एक चेतावनी है, किंतु जब मैंने इसके बाद की विश्व बैंक की अन्य रपटों का अध्ययन किया तो मुझे उसके असल इरादों का भान हुआ। दरअसल, विश्व बैंक इस प्रक्रिया को रोकना नहीं, तेज करना चाहता था।

2008 में जारी विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भारत में भूमि की किरायेदारी शुरू होनी चाहिए। इसके अनुसार, भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, किंतु यह ऐसे लोगों (किसानों) के हाथों में केंद्रित है, जो इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं करते।

विश्व बैंक का कहना है कि इन लोगों को इन संसाधनों से बेदखल कर देना चाहिए और भूमि उन लोगों को सौंप देनी चाहिए जो इसका कुशलता से उपयोग कर सकें और वास्तव में ये लोग कॉरपोरेट क्षेत्र के ही हो सकते हैं। किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और अब अपने चरम पर पहुंच गई है। जिस तेज रफ्तार से सरकार भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किसानों को जमीन से बेदखल कर रही है इससे विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट गहराता जा रहा है।

दुर्भाग्य से हमें यह समझाने की

कोशिश की जाती है कि खाद्य उत्पादन के मोर्चे पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत खाद्यान्न का कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकता है। मुख्यतः इसी मंशा से 1995 में विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से विकासशील देशों में धनी देशों की ओर से अनुदानित और सस्ती दरों पर खाद्यान्न के आयात की बाढ़ आ गई है। इसी प्रकार मुक्त व्यापार समझौतों के नाम पर द्विपक्षीय समझौते और क्षेत्रीय व्यापार संधियों के माध्यम से विकासशील देशों में औद्योगिकीय उत्पादित खाद्यान्न और खाद्य उत्पादों के लिए बाजार विकसित किया जा रहा है।

इस प्रकार भूमि और जीविकोपार्जन केंद्रीय मुद्दों में तब्दील हो चुके हैं। ग्रामीण भारत से 40 करोड़ लोगों के संभावित विस्थापन से भारत अब तक विश्व में हुए सबसे बड़े पर्यावरणीय विस्थापन का साक्षी बन जाएगा। यह अवधारणा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा। मेरा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत और चीन के 80 करोड़ लोग गांवों से शहरों की ओर कूच कर जाएंगे। जिन करोड़ों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्हें कृषि शरणार्थी कहा जा सकता है।

क्या हम समझ सकते हैं कि विश्व किस दिशा में जा रहा है? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस भयानक रफ्तार से विस्थापन के कारण कितने गंभीर सामाजिक–आर्थिक और साथ ही राजनीतिक संकट खड़े हो सकते हैं? इसके बजाय हमें बताया जा रहा है कि बढ़ता शहरीकरण वैश्वीकरण और आर्थिक संवृद्धि का अपरिहार्य परिणाम है।

हमें बार–बार बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं का अंत कर दिया है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, किंतु मुझे लगता है कि आने वाले कुछ बरसों में राष्ट्रों की सीमाएं धुंधली होने के बजाए और गहरी व लंबी हो जाएंगी। विकासशील देशों में जिस रफ्तार से और जिस हद तक भूमि हड़पने का सिलसिला चल रहा है वह चिंता का विषय है।

हमें बार–बार बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं का अंत कर दिया है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, किंतु मुझे लगता है कि आने वाले कुछ बरसों में राष्ट्रों की सीमाएं धुंधली होने के बजाए और गहरी व लंबी हो जाएंगी। विकासशील देशों में जिस रफ्तार से और जिस हद तक भूमि हड़पने का सिलसिला चल रहा है वह चिंता का विषय है।

उदाहरण के लिए एक भारतीय कंपनी ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तीन हजार वर्ग किलोमीटर भूमि हासिल कर ली है। यह क्षेत्र बहुत से छोटे देशों के क्षेत्रफल से भी अधिक है। एक दिन इस भूमि के मालिक झंडा फहराकर यह घोषणा कर सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आप इस संभावना को खारिज कर सकते हैं, किंतु हमें अधिक सावधानी से काम लेना होगा।

देर–सबेर समाज कृषि, खाद्य सुरक्षा और भूमि संसाधन की सच्चाई से रूबरू होगा। जितना जल्द यह होगा, उतना ही बेहतर होगा। समस्या यह है कि हम इस तरह के गंभीर मुद्दों पर किसी खास नजरिये और परिप्रेक्ष्य में ही विचार करते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि ये मुद्दे बहुआयामी और बहुकोणीय होते हैं। जब तक हम ऐसा करने में सफल नहीं होंगे

तब तक हम सही संदर्भ में विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने में सफल नहीं होंगे।

मैं जिन मंचों पर जाता हूँ उनमें यह व्यापक सोच नदारद नजर आती है। शायद यही कारण है कि हम अंतरदृष्टि और सार्थकता के साथ असल मुद्दों से भटक जाते हैं। कृषि–व्यापार से यह प्रतीत होता है कि भारत और चीन जैसे देशों को अन्य देशों में अधिक खाद्य उत्पादन करना चाहिए। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत और चीन द्वारा विदेशों में भूमि की खरीदारी को न्यायोचित ठहराया जा रहा है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत के मद्देनजर भारी–भरकम कृषि भूमि की खरीदारी की वकालत की जा रही है।

आज लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में शायद ही कोई देश हो जिसकी भूमि न हड़पी जा रही हो। भुखमरी और कुपोषण के शिकार इथियोपिया में आठ हजार से अधिक कंपनियां जमीन हथियाने के प्रयास में हैं। यह देश पहले ही 2000 कंपनियों को 27 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित कर चुका है, जिसमें भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। ये कंपनियां इथियोपिया के लिए खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करेंगी, बल्कि इसका निर्यात करेंगी। यहां से उत्पादित खाद्यान्न की पहली खेप सऊदी अरब भेजी भी जा चुकी है, जबकि इस देश की जनता दाने–दाने की मोहताज है।

यह मुझे इतिहास के काले अध्याय की याद दिलाता है। कुछ दशक पहले आयरलैंड के अकाल की 150वीं वर्षगांठ के आयोजन में मैंने भाग लिया। यह अकाल 19वीं सदी के मध्य में पड़ा था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शहर के मेयर ने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि उस समय कितने बर्बर लोग थे। लोग भूख से मर रहे थे और फिर भी खाद्यान्न के बोरे के बोरे इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि समाज की इस बर्बर प्रकृति में कोई अंतर आया है। आने वाले समय में हम और भी बर्बर समाज में रहेंगे। इथियोपिया में जिस तरह भूमि हड़पी जा रही है, यह बर्बरता से कम नहीं है। देश में लोग भूख से मर रहे हैं और कंपनियों के पास खाद्यान्न के निर्यात की कानूनी अनुमति है। भविष्य में ऐसे और भी उदाहरण देखने को मिलेंगे। ❑

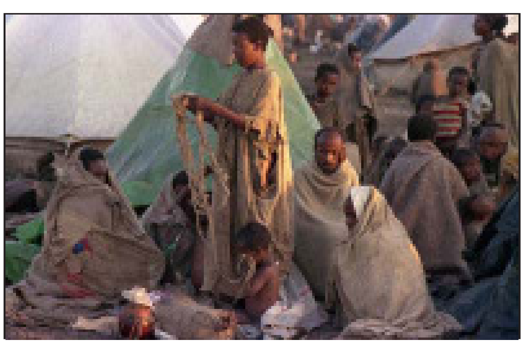

आज लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में शायद ही कोई देश हो जिसकी भूमि न हड़पी जा रही हो। भुखमरी और कुपोषण के शिकार इथियोपिया में आठ हजार से अधिक कंपनियां जमीन हथियाने के प्रयास में हैं। यह देश पहले ही 2000 कंपनियों को 27 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित कर चुका है, जिसमें भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। ये कंपनियां इथियोपिया के लिए खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करेंगी, बल्कि इसका निर्यात करेंगी। यहां से उत्पादित खाद्यान्न की पहली खेप सऊदी अरब भेजी भी जा चुकी है, जबकि इस देश की जनता दाने–दाने की मोहताज है।

एकाधिकार की समस्या

सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर किए जा रहे खर्च को सीधे जनता को वितरित कर देना चाहिए। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि जनता समझदार है। इस राशि के खर्च को भी जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाकर सरकारी तंत्र के माध्यम से घटिया स्वास्थ्य सेवाएं एवं घटिया शिक्षा जनता के सिर नहीं थोपना चाहिए। भारतवर्ष ऋषियों का देश रहा है, जो बिना सरकारी दखल के शिक्षित और स्वस्थ रहा है। यह आगे भी रह सकता है।

■ डॉ. भरतझुनझुनवाला

योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को निजी ठेकेदारों के माध्यम से वैसे ही चलाना चाहिए जैसे पीडब्लूडी द्वारा ठेकेदारों से सड़कें बनवाई जाती हैं। सोच सही दिशा में है। सरकारी कल्याणकारी तंत्र असफल है। इसमें सुधार करना कठिन है। ठेकेदार द्वारा सही सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर जनता सरकारी अधिकारी से गुहार लगा सकेगी। सरकार, ठेकेदार एवं जनता के बीच त्रिकोणीय घर्षण से व्यवस्था में सुधार आएगा। वर्तमान में सरकार और जनता के बीच सीधा सामना होता है।

सरकारी सुविधाओं का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण जनता को मजबूरन सरकारी तंत्र से सुविधाएं लेनी पड़ती हैं। इससे सरकारी कर्मियों में अकर्मण्यता, अक्खड़पन और भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए विषय सरकारी बनाम निजी सुविधाओं का नहीं है, बल्कि विषय प्रशासनिक सुधार का है।

शिक्षक ड्यूटी पर न उपस्थित हो तो उसी जिला शिक्षाधिकारी से शिकायत करनी पड़ती है जिसकी मिलीभगत से शिक्षक अनुपस्थित रहता है। ठेकेदारी प्रथा से सुधार होगा, जैसे कोलकाता और दिल्ली में बिजली वितरण को ठेकेदारों को देने से सुधार आया है। फिर भी ठेकेदारों के माध्यम से समस्या का मौलिक समाधान नहीं होता है। इस विषय पर योजना आयोग द्वारा गठित उपसमूह की रपट में कहा गया है कि सामाजिक सेवाओं की घटिया स्थिति का कारण एकाधिकार है।

सरकारी सुविधाओं का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण जनता को मजबूरन सरकारी तंत्र से सुविधाएं लेनी पड़ती हैं। इससे सरकारी कर्मियों में अकर्मण्यता, अक्खड़पन और भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए विषय सरकारी बनाम निजी सुविधाओं का नहीं है, बल्कि विषय प्रशासनिक सुधार का है। इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि मूल समस्या एकाधिकार की है। नुक्कड़ पर केवल एक ही रिक्शा उपलब्ध हो तो यात्री को रिक्शा चालक की मनमानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसी प्रकार सरकारी डाक्टरों एवं टीचरों के आगे जनता बेहाल है। ऊपर दिए गए उद्धरण में ठेकेदारी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार बताने का अर्थ है कि एकाधिकार की मूल समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

गांव में स्कूल सरकारी कर्मचारी चलाएं या ठेकदार के कर्मचारी चलाएं, दोनों ही स्थिति में अध्यापक का एकाधिकार बना रहता है। ठेकेदार द्वारा नियुक्त अध्यापक उतने ही अकर्मण्य हो सकते हैं जितने सरकारी अध्यापक हैं। अंतर सिर्फ

इतना पड़ता है कि सरकारी कर्मियों की अकर्मण्यता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना कठिन होता है, जबकि ठेकेदार द्वारा सख्ती की जा सकती है। अतः ठेकेदारी प्रथा से एकाधिकार की मौलिक समस्या का समाधान नहीं होता है।

योजना आयोग का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा से कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस सुधार के हासिल होने की संभावना है, परंतु संदेह भी है। मेरा अनुभव है कि कई क्षेत्रों में सरकारी कामकाज की गुणवत्ता ठेकेदारों से उत्तम होती है। बीमा एजेंट बताते हैं कि सरकारी बीमा कंपनियों से क्लेम पूरा मिल जाता है यद्यपि समय ज्यादा लगता है। निजी कंपनियां क्लेम में अनुचित कटौती करती हैं। सरकारी टेलीफोन कंपनी के बिल सही आते हैं, जबकि निजी कंपनियों के बिलों में घपले की शिकायत ज्यादा मिलती है। सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति सही योग्यता होने पर ही होती है। निजी ठेकेदारों द्वारा कम योग्यता वालों की नियुक्ति की जा सकती है। सरकार एवं ठेकेदार, दोनों के अलग–अलग गुण–दोष हैं।

सरकारी तंत्र में वेतन, योग्यता आदि उत्तम होते हैं, जबकि प्रशासन ढीला होता है। इसके विपरीत ठेकेदारी व्यवस्था में वेतन, योग्यता आदि कमजोर होते हैं, किंतु प्रशासन चुस्त होता है। इस प्लस–माइनस में अंतिम परिणाम कुछ भी हो सकता है। ठेकेदारों का उत्तम होना जरूरी नहीं है।

आयोग का कहना है कि ठेकेदारों पर निगरानी रखी जा सकती है और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। स्वतंत्र नियामक एजेंसी भी बनाई जा सकती है। बात सही है, परंतु ऐसा ही सरकारी तंत्र के लिए भी किया जा सकता है। मूल्यांकन करने के लिए ठेकेदारी लागू करना जरूरी नहीं है।

यह देखा जाता है कि निजी व्यापारी सरकारी नियंत्रक को खरीद लेते हैं। निजी ठेकेदारों द्वारा नियामक एजेंसी को घूस देकर घटिया माल पास करा लिया जाता है, जैसा कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनाए गए पैदल पुल के ढहने से संकेत मिलते हैं। इन समस्याओं का हल ठेकेदारी से नहीं निकलता है। सरकारी तंत्र द्वारा सीधे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं अथवा ठेकेदार के माध्यम से, इसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल जिम्मेदारी सरकार की ही होती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का सही समाधान है कि सरकारी हस्तक्षेप को ही समाप्त किया जाए। इस मद पर वर्तमान में सरकार द्वारा खर्च की जा रही रकम को जनता को सीधे नगद बाउचर देने चाहिए जिससे वे अपने मनपसंद स्कूल में बच्चों को भेज सकें। इस सही व्यवस्था को लागू करने के स्थान पर ठेकेदारी की ओर बढ़ना हानिप्रद है।

मेरी समझ से सरकार के भ्रष्टाचार को ठेकेदारी के भ्रष्टाचार में बदलने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, यद्यपि कभी–कभी यह सफल भी हो सकता है। इस दिशा में चलने से भटकाव एवं नुकसान है।

बच्चे को गणित में रुचि न हो और वह स्पोर्ट्स में कॅरियर बनाना चाहता हो तो उसे गणित के ट्यूटर के पास गणित पढ़ने के लिए भेजना ठीक होते हुए भी हानिप्रद होता है। ट्यूटर के पास जाने से उसके गणित के नंबर में सुधार हो सकता है, परंतु स्पोर्ट्स की दिशा की सही संभावना को बंद करने में यह एक सहायक कदम हो जाता है। सचिन तेंदुलकर को यदि गणित के ट्यूटर के पास भेजा जाता तो वह संभवतः क्रिकेट में अव्वल स्थान नहीं पाते। मुरारी बापू को कांवेंट स्कूल में भेजा जाता तो वे कथावाचक नहीं बन पाते। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का सही समाधान है कि सरकारी हस्तक्षेप को ही समाप्त किया जाए। इस मद पर वर्तमान में सरकार द्वारा खर्च की जा रही रकम को जनता को सीधे नगद बाउचर देने चाहिए जिससे वे अपने मनपसंद स्कूल में बच्चों को भेज सकें। इस सही व्यवस्था को लागू करने के स्थान पर ठेकेदारी की ओर बढ़ना हानिप्रद है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर हो रहे कुल खर्च का मात्र 17 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शिक्षा की भी कमोवेश यही परिस्थिति है। इस 17 प्रतिशत सरकारी खर्च पर सरकारी कल्याणकारी माफिया ने कब्जा कर लिया है। अतः जरूरत 83 प्रतिशत निजी खर्च की गुणवत्ता सुधारने की है, न कि 17 प्रतिशत सरकारी खर्च को ठेकेदारों को देने की। जरूरत इस माफिया राज को समाप्त करने की है।

सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर किए जा रहे खर्च को सीधे जनता को वितरित कर देना चाहिए। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि जनता समझदार है। इस राशि के खर्च को भी जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाकर सरकारी तंत्र के माध्यम से घटिया स्वास्थ्य सेवाएं एवं घटिया शिक्षा जनता के सिर नहीं थोपना चाहिए। भारतवर्ष ऋषियों का देश रहा है, जो बिना सरकारी दखल के शिक्षित और स्वस्थ रहा है। यह आगे भी रह सकता है। ❑

बेमानी होती गरीबी

भारत में 22 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। चूंकि केवल कैलोरी के आधार पर गरीबी की रेखा का आकलन किया जाता रहा है, वह भी पूरा सही नहीं है, इसलिए यह वास्तव में गरीबी की रेखा नहीं, बल्कि भुखमरी की रेखा है। वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सहित विविध प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। यदि इन सबका हिसाब जोड़ा जाए तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बैठेगी। यदि सरकार नेक–नीयत से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाना और लागू करना चाहती है तो उसे गरीबी की रेखा की अवधारणा को न्यायोचित बनाना होगा।

डॉ. अश्विनी महाजन

पिछले दिनों एक जनहित याचिका के संबंध में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि दुनिया की महाशक्ति बन रहे भारत जैसे देश में यह एक विडंबना है कि अब भी देश के कई हिस्सों में भुखमरी से मौतें हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सवाल खड़ा किया है कि देश में दो भारत कैसे हो सकते हैं – एक भुखमरी से त्रस्त और दूसरा अमीरी में मस्त। देश में गरीबी के आंकड़ों के बारे में लगातार भिन्न–भिन्न आंकड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे में समझ ही नहीं आता कि भारत में कितने लोग गरीब हैं। समय–समय पर गरीबी की रेखा की बदलती परिभाषाएं इस विषय को और अधिक उलझा देती हैं।

स्वाभाविक है कि सर्वमान्य आंकड़ों के अभाव में गरीबी उन्मूलन के उपाय सार्थक नहीं हो सकते। पूर्व में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपाय अपनाए जाते रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ता अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थ व केरोसिन उपलब्ध कराया जाना, ग्रामीण और शहरी रोजगार कार्यक्रम, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं आदि इस दिशा में कुछ प्रमुख सरकारी कार्यक्रम रहे हैं।

दुनिया की महाशक्ति बन रहे भारत जैसे देश में यह एक विडंबना है कि अब भी देश के कई हिस्सों में भुखमरी से मौतें हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सवाल खड़ा किया है कि देश में दो भारत कैसे हो सकते हैं – एक भुखमरी से त्रस्त और दूसरा अमीरी में मस्त। देश में गरीबी के आंकड़ों के बारे में लगातार भिन्न–भिन्न आंकड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की बात भी की जा रही है, जिसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से यह प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग किस प्रकार से आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कुल जनसंख्या का मात्र 36 प्रतिशत ही मानता है।

ध्यान देने वाली बात है कि कुछ समय पहले योजना आयोग द्वारा प्रो. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक

यदि सही आंकड़े प्रयुक्त किए जाएं तो 2400 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 2100 से कम कैलोरी प्राप्त करने वालों की संख्या 50 प्रतिशत बैठती है यानी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा आंकड़ों की बाजीगरी के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या जान–बूझकर कम दिखाई जाती रही है।

विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया था, जिसने गरीबी के मापन हेतु एक अलग परिभाषा सुझाई थी, जिसके आधार पर गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित भी किया गया।

तेंदुलकर रिपोर्ट से पहले तो सरकार यह कह रही थी कि देश में 2004–05 में केवल 28 प्रतिशत लोग ही गरीब थे और उनका यह प्रतिशत 2007 तक घटकर मात्र 20 प्रतिशत ही रह गया। प्रो. तेंदुलकर ने गरीबी की जो नई परिभाषा सुझाई (जिसे भारत सरकार ने स्वीकार भी किया), उसमें उन्होंने गरीबी का आकलन करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर आवश्यक खर्च को शामिल किया है, लेकिन प्रो. तेंदुलकर की परिभाषा के अनुसार भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जांच करने का जो तरीका बनाया गया, उसके अनुसार भी जिस व्यक्ति की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 446.68 रुपये और शहरी क्षेत्र में 578.8 रुपये से अधिक है, वह गरीबी की रेखा से ऊपर माना गया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजना आयोग ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यदि इसके इतिहास में जाएं तो देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता था, जिनका कैलोरी उपभोग 2400 कैलोरी से कम और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम होता था। उसके अनुसार आवश्यक उपभोग को आधार बनाकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन होता था। इसके आधार पर योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1973–74 में 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे।

1973–74 तक आवश्यक खर्च के आंकड़े सही रूप से लागू किए गए और इस प्रकार गरीबी का आकलन भी ठीक होता था, लेकिन 1993–94 और 1990–2000 में इस संबंध में सरकार द्वारा प्रयुक्त उपभोक्ता खर्च के आंकड़े काफी कम दिखाए गए।

आलोचकों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के कारण गरीबी रातोंरात कम होती दिखाई दी। यदि सही आंकड़े प्रयुक्त किए जाएं तो 2400 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 2100 से कम कैलोरी प्राप्त करने वालों की संख्या 50 प्रतिशत बैठती है यानी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा आंकड़ों की बाजीगरी के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या जान–बूझकर कम दिखाई जाती रही है। योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार गरीबी का आकलन करें तो देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 20 रुपये पाने वाले को भी सरकारी मापदंडों के अनुसार गरीब नहीं माना जाएगा। यहां सवाल यह उठता

है कि जब दुनिया भर में गरीबी की जो परिभाषा इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अनुसार न्यूनतम 1.25 अमेरिकी डॉलर से कम आमदनी वाले को गरीब माना जाएगा। रुपयों में यह राशि 58 रुपये बनती है। हालांकि यह राशि भी न्यूनतम गुजारे के लिए आवश्यक आमदनी से कहीं कम है, फिर भी इससे एक तिहाई आमदनी की परिभाषा वास्तव में हास्यास्पद ही मानी जाएगी। योजना आयोग की स्वयं की परिभाषा, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो 2100 कैलोरी का उपभोग न्यूनतम है, मात्र 19 रुपये में और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मात्र 15 रुपये प्रतिदिन, यह कैसे संभव है?

वास्तव में यह सरकार की संवेदनहीनता का भी परिचायक कहा जा सकता है, जिसके अनुसार गरीबी की रेखा की परिभाषा न्यूनतम जीवन लागत का भी प्रावधान नहीं कर पाती। कुछ समय पहले असंगठित क्षेत्र के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति द्वारा यह खुलासा किया गया था कि देश में 77 प्रतिशत से भी अधिक लोग प्रतिदिन 20 रुपये या उससे कम पर गुजर करते हैं। एक आदमी की न्यूनतम आवश्यकता भोजन, आवास और कपड़े की होती है। आसानी से समझ में आता है कि इतने कम में इन सभी जरूरतों की पूर्ति करना संभव नहीं होता यानी कह सकते हैं कि देश में 77 प्रतिशत से भी अधिक लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं।

यदि हम अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रपट मानें तो देश के तीन–चौथाई से भी अधिक लोग गरीब हैं। अगर सरकार द्वारा अंक गणितीय तरीके से मापी गई गरीबी देखें तो मात्र 36 प्रतिशत लोग ही देश में गरीब हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक ही सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में इतना भारी अंतर कैसे हो जाता है?

एक ब्रिटिश शोध संस्था ने यह पाया है कि भारत में तीन वर्ष की आयु वर्ग के 3,000 बच्चे प्रतिदिन पोषक आहार की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार ही हैं, जिसके अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। चूंकि केवल कैलोरी के आधार पर गरीबी की रेखा का आकलन किया जाता रहा है, वह भी पूरा सही नहीं है, इसलिए यह वास्तव में गरीबी की रेखा नहीं, बल्कि भुखमरी की रेखा है।

वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सहित विविध प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। यदि इन सबका हिसाब जोड़ा जाए तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बैठेगी। यदि सरकार नेक–नीयत से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाना और लागू करना चाहती है तो उसे गरीबी की रेखा की अवधारणा को न्यायोचित बनाना होगा।❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

झुग्गी विहीन भारत का सपना

छह दशकों में 11 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अब क्या स्थिति है? आज हमारे हर शहर में झुग्गी बस्तियों की भरमार है, जो नेहरू के समय से भी बदतर हालात में हैं। हमारी 35 फीसदी शहरी आबादी झुग्गियों में रहती हैं। ये झुग्गियां गंदगी, बीमारी, खतरे, अपराध और हताशा का पर्याय बनी हुई हैं। महानगरों में तो हालत और भी गंभीर है। मुंबई में 55 फीसदी लोग चाल में रहते हैं। धारावी में 1.75 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब दस लाख लोग रह रहे हैं। यह इलाका अपनी दरिद्रता के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। इसके काफी बड़े हिस्से में प्रति 1500 लोगों के लिए मात्र एक शौचालय है। औसतन दस लोग एक कमरे में रहते हैं।

■ जगमोहन

जवाहरलाल नेहरू को झुग्गी बस्तियों से चिढ़ थी। उन्होंने लिखा था, मैं किसी भी दलील, अर्थशास्त्र या किसी अन्य बात में विश्वास नहीं रखता जो झुग्गी बस्तियों के निर्माण की वकालत करती हो। मैं झुग्गियों से डरता हूं। अगर बंजारों की तरह कोई व्यक्ति खुले में रहता है तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है। अगर हम झुग्गियों में रहने वालों को मकान उपलब्ध नहीं करा सकते तो हमें उन्हें रहने को कुछ खुली जगह दे देनी चाहिए, जहां पानी और सीवर जैसी सुविधाएं हों।

1954 में दिल्ली के तुर्कमान गेट के दौरे के समय नेहरू झुग्गी बस्ती की गंदगी और घिचपिच से इस कदर गुस्सा गए थे कि उन्होंने चिल्ला कर कहा था – इन्हें फूंक दो। झुग्गी बस्तियों के प्रति नेहरू के नजरिये को देखते हुए ही पहली पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गई, झुग्गी बस्तियां राज्य व केंद्र सरकारों के लिए खेद का विषय है। इस गंभीर समस्या पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। झुग्गी बस्तियां राष्ट्रीय समस्या हैं। झुग्गियों के कारण नारकीय जीवन का बोझ उठाने से बेहतर है इनके सफाए के लिए खर्च का बोझ उठाया जाए।

किंतु छह दशकों में 11 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अब क्या स्थिति है? आज हमारे हर शहर में झुग्गी बस्तियों की भरमार है, जो नेहरू के समय से भी बदतर हालात में हैं। हमारी 35 फीसदी शहरी आबादी झुग्गियों में रहती हैं। ये झुग्गियां गंदगी, बीमारी, खतरे, अपराध और हताशा का पर्याय बनी हुई हैं। महानगरों

1954 में दिल्ली के तुर्कमान गेट के दौरे के समय नेहरू झुग्गी बस्ती की गंदगी और घिचपिच से इस कदर गुस्सा गए थे कि उन्होंने चिल्ला कर कहा था – इन्हें फूंक दो। झुग्गी बस्तियों के प्रति नेहरू के नजरिये को देखते हुए ही पहली पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गई, झुग्गी बस्तियां राज्य व केंद्र सरकारों के लिए खेद का विषय है। इस गंभीर समस्या पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

में तो हालत और भी गंभीर है। मुंबई में 55 फीसदी लोग चाल में रहते हैं। धारावी में 1.75 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब दस लाख लोग रह रहे हैं। यह इलाका अपनी दरिद्रता के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। इसके काफी बड़े हिस्से में प्रति 1500 लोगों के लिए मात्र एक शौचालय है। औसतन दस लोग एक कमरे में रहते हैं।

आईटी इंडस्ट्री के गढ़ बेंगलूर में भी करीब एक हजार झुग्गी बस्तियों में बीस लाख लोग रह रहे हैं। वहां 90 हजार बच्चे सड़कों से कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए हैं। देश की राजधानी में अगर पुरानी दिल्ली के कटराओं और 1600 अनधिकृत कॉलोनियों व एक हजार से अधिक झुग्गी बस्तियों को जोड़ लिया जाए तो करीब 77 फीसदी लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं।

आईटी इंडस्ट्री के गढ़ बेंगलूर में भी करीब एक हजार झुग्गी बस्तियों में बीस लाख लोग रह रहे हैं। वहां 90 हजार बच्चे सड़कों से कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए हैं। देश की राजधानी में अगर पुरानी दिल्ली के कटराओं और 1600 अनधिकृत कॉलोनियों व एक हजार से अधिक झुग्गी बस्तियों को जोड़ लिया जाए तो करीब 77 फीसदी लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं।

1991 में देश में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद से शहरों में झुग्गी बस्तियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मानव आवास–झुग्गी बस्तियों की चुनौती नामक वैश्विक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि विकासशील देशों में नवउदारवादी शक्तियों के विकास के साथ–साथ असंगठित क्षेत्र में एक नया सामाजिक वर्ग उभरा है, जो निम्न स्तर, निम्न मजदूरी, काम के अधिक घंटे और असुरक्षित आवास से जूझ रहा है। भारत में अधिकांश बड़े शहरों में एक व्यक्ति के रहने का स्थान देश के औसत का चालीसवां हिस्सा है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य सरीखी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में दुनिया भर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दस करोड़ लोगों के स्तर को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह के प्रयासों से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है।

ये परियोजनाएं केवल भारत में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दस फीसदी लोगों को ही छू पाती हैं। जमीनी धरातल पर कटु सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में न तो नेहरू का काव्यात्मक असंतोष, न पंचवर्षीय योजनाएं और न ही निजी–सार्वजनिक साझेदारियों के कोई सार्थक नतीजे आए हैं।

अब आवश्यकता नए नजरिए के साथ सुनियोजित विकास की है।

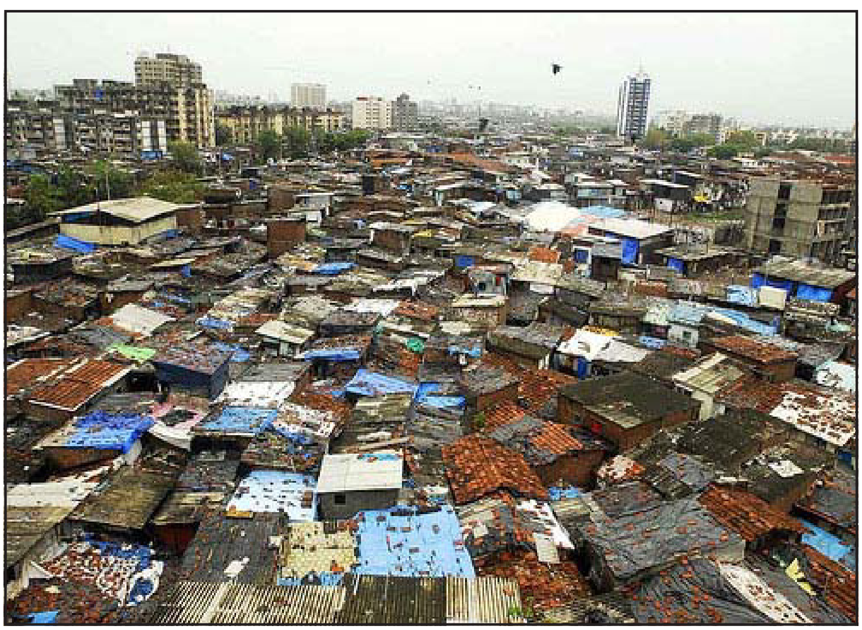

ये परियोजनाएं केवल भारत में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दस फीसदी लोगों को ही छू पाती हैं। जमीनी धरातल पर कटु सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में न तो नेहरू का काव्यात्मक असंतोष, न पंचवर्षीय योजनाएं और न ही निजी–सार्वजनिक साझेदारियों के कोई सार्थक नतीजे आए हैं। अब आवश्यकता नए नजरिए के साथ सुनियोजित विकास की है।

प्रवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं से लैस बेहतर नक्शे वाली कॉलोनियों का निर्माण होना चाहिए, जिनमें नामचारे के किराये पर गरीब कामगारों को मकान देना चाहिए।

दूसरे शब्दों में शहरों का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उनमें हर साल आने वाले प्रवासियों के रहने के स्थान का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए शहर के नियोजकों को पहले से ही ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर लेना चाहिए जिस पर गरीब कामगारों के लिए सस्ते भवनों का निर्माण किया जा सके। यह काम सरकार के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है।

नवउदारवादी शक्तियों ने भले ही उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया हो, लेकिन शहरी गरीबों के लिए वे किसी विपत्ति से कम नहीं हैं। सामाजिक सरोकार से उनका कोई नाता नहीं है। निजी–सार्वजनिक साझेदारी के तहत जो योजनाएं शुरू की गईं वे या तो विफल हो चुकी हैं या फिर विफल होने के कगार पर हैं।

दिल्ली में जोर–शोर से शुरू की गई तेहखंड योजना में पिछले सात वर्षों में एक इंच जमीन पर भी निर्माण नहीं हुआ है। मुंबई–धारावी योजना पिछले 15 सालों से घिसट रही है। इस दिशा में हमें नई सोच के साथ तेजी से काम करने की जरूरत है।

दिल्ली में जोर–शोर से शुरू की गई तेहखंड योजना में पिछले सात वर्षों में एक इंच जमीन पर भी निर्माण नहीं हुआ है। मुंबई–धारावी योजना पिछले 15 सालों से घिसट रही है। इस दिशा में हमें नई सोच के साथ तेजी से काम करने की जरूरत है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2030 तक भारत की शहरी आबादी 59 करोड़ हो जाएगी। यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी के दोगुने के करीब होगी। तब तक भारत के 68 बड़े शहरों में प्रति शहर दस लाख लोगों के आवास की व्यवस्था करनी होगी। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

भारी पड़ता अमेरिकी स्वार्थ

अब ओबामा चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबानी जनरलों को वार्ता की मेज पर लाने को बाध्य करे। यद्यपि तालिबान का जन्मदाता आईएसआई है, किंतु नौवें दशक में इसका लालन–पालन सीआईए ने ही किया। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि अपने पूर्व सहयोगी के साथ मेलमिलाप संभव है। इस पृष्ठभूमि में पाक–अमेरिका संबंधों के उलझे धागों को सुलझाने के बजाए लादेन प्रकरण ने इन्हें और उलझा दिया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के कुछ लोग अमेरिका को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सब आईएसआई में शामिल कुछ दुष्ट तत्वों का किया धरा है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी आईएसआई ही दुष्ट है।

■ ब्रह्म चेलानी

आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का दोहरा चेहरा उजागर होने के बावजूद इस देश के प्रति दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में किसी मूलभूत परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। यहां तक कि पाक सेना के प्रमुख ठिकाने एबटाबाद में छह साल से रहने वाले ओसामा बिन लादेन को मार गिराने में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के साहसिक कारनामे के बाद वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से महज कुछ कड़े सवाल ही पूछे हैं और लादेन की तीन विधवाओं से पूछताछ की अनुमति की ही इच्छा प्रकट की है। उसने पाकिस्तान के उद्दंड सैन्य प्रतिष्ठान को अनुशासित करने के लिए कुछ नहीं किया है। अमेरिका ने केवल एक बार (9/11 के बाद) ही निर्णायक कदम उठाया था।

पूर्व पाकिस्तानी सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के अनुसार, तब विदेश उपमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने इस्लामाबाद को अफगानिस्तान में तालिबान शासन की सहायता से बाज आने के लिए धमकी देते हुए कहा था कि अगर वह नहीं माना तो पाकिस्तान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। इस धमकी ने तुरंत काम किया, किंतु अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पाकिस्तान ने फिर धीमे–धीमे तालिबान को सहायता देनी शुरू कर दी।

वास्तव में, अब्दुल कादिर खान के परमाणु तस्करी के खुलासे के बाद अमेरिका ने लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान में परमाणु प्रसार के जिम्मेदार पाक सैन्य प्रतिष्ठान को दंडित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सारा दोष एक व्यक्ति के मत्थे मढ़ दिया। अभी तक एक्यू खान से किसी अंतरराष्ट्रीय या अमेरिकी एजेंसी ने पूछताछ तक नहीं की

आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का दोहरा चेहरा उजागर होने के बावजूद इस देश के प्रति दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में किसी मूलभूत परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। यहां तक कि पाक सेना के प्रमुख ठिकाने एबटाबाद में छह साल से रहने वाले ओसामा बिन लादेन को मार गिराने में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के साहसिक कारनामे के बाद वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से महज कुछ कड़े सवाल ही पूछे हैं और लादेन की तीन विधवाओं से पूछताछ की अनुमति की ही इच्छा प्रकट की है।

है। अब विश्व के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य अकादमी के बगल में पाकर भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी व जिहादी समूहों से संबंध तोड़ने को मजबूर करने का मौका गंवा रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध में अपने संकीर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी, किंतु मुश्किल साझेदार पाकिस्तान को साधने का प्रयास कर रहा है। अल्पकालिक राजनीतिक निहित स्वार्थों ने अमेरिकी नीति को हमेशा पाकिस्तान के प्रति नरम रखा है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई में दशकों से भारी निवेश के हैरतअंगेज परिणाम सामने हैं।

इस बीच पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद की धुरी के रूप में उभरा है। पाकिस्तान ऐसे जिहादी समूहों का गढ़ बन गया है जो मजहब के पवित्र औजार के तौर पर खुलेआम हिंसा का प्रवचन देते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक उग्रवाद और अमेरिकी विरोध का ज्वार बढ़ता जा रहा है। पाक जनरल अब भी आतंकी समूहों को पोषित कर रहे हैं।

2008 में मुंबई आतंकी हमला निश्चित तौर पर पाकिस्तान के दोनों दावों का झूठ उजागर करता है कि पाक के सत्ता संस्थानों का इस हमले में कोई योगदान नहीं था और पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है।

असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद के प्रायोजित आतंक का शिकार है और लश्करे–तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना के मोहरे भर हैं। लादेन प्रकरण ने पाकिस्तानी सेना को नंगा कर दिया है। अगर लादेन शहरी क्षेत्र में छिप कर रहना चाहता तो उसके पास बहुत से विकल्प थे। एक ऐसे शहर में शरण लेना जहां प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान होने के नाते चप्पे–चप्पे पर चौकसी थी, यही साबित करता है कि उसे पाकिस्तानी सेना या खुफिया एजेंसी का समर्थन हासिल था।

पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे बिन लादेन का शिकार करके और पाकिस्तानी वायुसेना में सेंध लगाकर वहां सैन्य कार्रवाई को अंजाम देकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर वर्चस्व पर मुहर लगा दी है। इस प्रक्रिया में देश के रक्षक होने का दावा करने वाले प्रतिष्ठान–पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की प्रतिष्ठा घर में ही मिट्टी में मिल चुकी है।

आखिरकार, पाकिस्तान के बीचोबीच चालीस मिनट का सैन्य अभियान चलाकर अमेरिका ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी अमेरिकी पहुंच से बाहर नहीं हैं। इससे पाकिस्तान के प्रमुख सत्ता दलालों और उग्रवादी समूहों को एक कड़ा संदेश मिला है। यह आतंक के प्रायोजकों को दोहरा आघात है कि

अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिका सहायता पर सवाल उठा रहे हैं। यह सहायता अब प्रतिवर्ष तीन अरब डॉलर पर पहुंच गई है, किंतु कटु सत्य यह है कि पाकिस्तान में जिहादी तत्वों की पकड़ जितनी मजबूत हुई है उसे मिलनी वाली अमेरिकी सहायता में उतनी ही अधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पाकिस्तान इजरायल को पीछे छोड़कर सबसे अधिक अमेरिकी सहायता पाने वाला देश बन गया है। अमेरिका के पास पाकिस्तान में आतंकी ढांचे और सरकारी व गैर–सरकारी अभिनेताओं के बीच मधुर संबंधों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

वाशिंगटन ने इस्लामाबाद के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों की भी परवाह न करते हुए लादेन के खात्मे की सीधी कार्रवाई की, पाकिस्तान को बताए बिना वहां अनेक सीआईए एजेंटों, विशेष बलों और ठेकेदारों को तैनात किया। लादेन अभियान से मात्र एक सप्ताह पहले ही कियानी और पाशा अमेरिका से मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान से सीआईए एजेंटों और ठेकेदारों को वापस बुला लिया जाए। वे नहीं चाहते थे कि सीआईए एजेंट पाकिस्तान के कोने–कोने में खुफिया जानकारी जुटाते फिरें, लेकिन इस अभियान से सीआईए की प्रभावी खुफिया कुशलता और कार्यात्मक क्षमताओं ने उन मित्रवत संबंधों को तोड़ दिया, जिनके तहत पाक सैन्य व खुफिया अधिकारी आतंकियों को प्रोत्साहित और पोषित करते थे।

अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिका सहायता पर सवाल उठा रहे हैं। यह सहायता अब प्रतिवर्ष तीन अरब डॉलर पर पहुंच गई है, किंतु कटु सत्य यह है कि पाकिस्तान में जिहादी तत्वों की पकड़ जितनी मजबूत हुई है उसे मिलनी वाली अमेरिकी सहायता में उतनी ही अधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पाकिस्तान इजरायल को पीछे छोड़कर सबसे अधिक अमेरिकी सहायता पाने वाला देश बन गया है। अमेरिका के पास पाकिस्तान में आतंकी ढांचे और सरकारी व गैर–सरकारी अभिनेताओं के बीच मधुर संबंधों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

समस्या यह है कि अमेरिकी नीति अल्पकालिक क्षेत्रीय हितों से निर्देशित है। वाशिंगटन को लगता है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से विदाई, 2014 के बाद के अफगानिस्तानी परिदृश्य और ईरान पर दबाव बनाने में पाकिस्तान का सहयोग बहुत जरूरी है।

समस्या यह है कि अमेरिकी नीति अल्पकालिक क्षेत्रीय हितों से निर्देशित है। वाशिंगटन को लगता है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से विदाई, 2014 के बाद के अफगानिस्तानी परिदृश्य और ईरान पर दबाव बनाने में पाकिस्तान का सहयोग बहुत जरूरी है। अफगान युद्ध में ओबामा के संकीर्ण लक्ष्यों ने अमेरिका की पाकिस्तान पर निर्भरता को बढ़ा दिया है।

अब ओबामा चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबानी जनरलों को वार्ता की मेज पर लाने को बाध्य करे। यद्यपि तालिबान का जन्मदाता आईएसआई है, किंतु नौवें दशक में इसका लालन–पालन सीआईए ने ही किया। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि अपने पूर्व सहयोगी के साथ मेलमिलाप संभव है। इस पृष्ठभूमि में पाक–अमेरिका संबंधों के उलझे धागों को सुलझाने के बजाए लादेन प्रकरण ने इन्हें और उलझा दिया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के कुछ लोग अमेरिका को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सब आइएसआइ में शामिल कुछ दुष्ट तत्वों का किया धरा है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी आईएसआई ही दुष्ट है। ❑

भारत तो भारत–शक्ति है, एक आध्यात्मिक भावना की जीवंत ऊर्जा और उसके जीवन का मूलभूत तत्त्व ही है इसके प्रति निष्ठा। अपने गुण के कारण ही यह एक अमर राष्ट्र है। यही वह चीज है जो इसके स्थायित्व का कारण है और जो आश्चर्यजनक रूप से बार–बार इसे संजीवन और अभ्युत्थान दिया करती है।

— श्रीअरविन्द

सोया हुआ देश

हमारी राजनीति कभी बेहतर और शुद्ध नहीं होगी और हमारा आर्थिक भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा, जब तक हमारे नागरिक अपनी और देश की बेहतरी के लिए गंभीरतापूर्वक सोच विचार नहीं करेंगे। हमें ऐसे मतदाता संगठन बनाने होंगे जों गांव गांव यह प्रचार करें कि योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को ही चुने वे चाहे किसी भी दल के क्यों न हों। चुनाव के बाद भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखें कि वे जिस काम के लिए चुने गये हैं वह कर रहे हैं या नही। लोकतंत्र में जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का रक्षक और अपने एवं देश के भविष्य का निर्माता होता है। यह सवाल अन्ना हजारे या रामदेव के आन्दोलन या अनशन का नहीं है। आपके और आपके देश के भविष्य निर्माण का है।

■ निरंकार सिंह

धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान और समृद्धि के क्षेत्र में भारत शताब्दियों तक विश्व के मानचित्र पर चमकता रहा है।

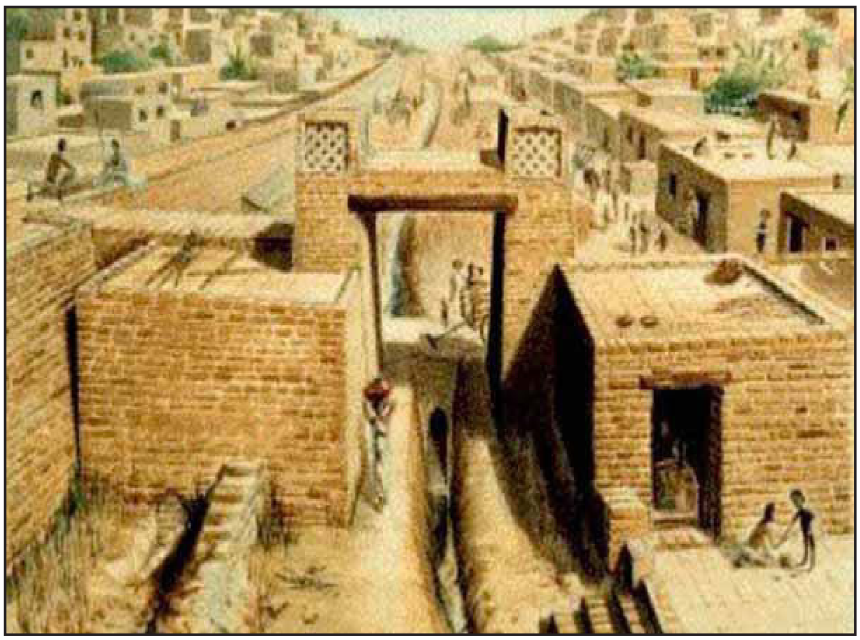

बुद्ध, महावीर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बुद्धायन और सम्राट अशोक जैसे युग पुरूष भारत में ही पैदा हुए थे। दुनिया के अन्य देश जब अंधकार में भटक रहे थे उस समय (पाषाण युग में) भारत की सिन्धु घाटी में अत्यन्त विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास हो चुका था।

इसी सभ्यता ने दुनिया को आधुनिक नगर नियोजन की कला सिखाई। जहाजरानी का भी विकास सिन्धु घाटी की सभ्यता ने ही किया था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले अंकों में शून्य का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में स्थापित हुआ था जिसमें दुनिया भर के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। दूसरा विश्वविद्यालय ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा में स्थापित हुआ था। इन विश्वविद्यालयों को शिक्षा जगत में भारत का महान योगदान माना जाता है।

भारत ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार कर लिया था। शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। विश्व में सिंचाई के लिए सबसे पहला बांध और जलाशय सौराष्ट्र में बनाया गया। लेकिन पिछले लगभग एक हजार साल का हमारा इतिहास बेहद निराशाजनक रहा है।

ईसा से 600 वर्ष पहले सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी थी। उन्होंने तथा उनके सहयोगी चिकित्सा विज्ञानियों ने सीजेरियन (आपरेशन से प्रसव), आंखों के आप्रेशन, हड्डियों को जोड़ने तथा पथरी के आप्रेशनों की विधि विकसित की थी। उन्हें शल्य क्रिया के लिए रोगियों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया की प्रणाली का ज्ञान था।

ब्रिटिश विद्वानों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बुद्धायन ने यूरोपियन गणितिज्ञों से शताब्दियों पूर्व अंकगणित के अनेक सूत्रों का आविष्कार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 'पाई' की गणना की थी। बीजगणित (एलजबरा) और त्रिकोणमिति (ट्रिग्नामेट्री) तथा चलन कलन (कैलकुलस) का आविष्कार और विकास भारत में ही हुआ। भारत ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार कर लिया था। शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। विश्व में सिंचाई के लिए सबसे पहला बांध और जलाशय सौराष्ट्र में बनाया गया। लेकिन पिछले लगभग एक हजार साल का हमारा इतिहास बेहद निराशाजनक रहा है। पहले हम मुगलों के

फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे। भारी कुर्बानियों के बाद देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन आजादी के 64 वर्षों में भी जिस आत्मनिर्भर और समृद्धिशाली भारत का सपना देखा गया था वह अभी अधूरा है। आज देश के सही सोच के हर नागरिक को यह चिंता होने लगी है कि अपार प्राकृतिक सम्पदा, उच्च मानवीय विलक्षणता और समृद्धिशाली विरासत के होते हुए भी आखिरकार हमारे देश की यह दशा कैसे हो गयी और इससे देश को कैसे बचाया जा सकता है। आज भी विदेशी पर्यवेक्षक अपने देश में कार्यरत धनी भारतीयों को देखकर इस प्रश्न से हैरान होते हैं कि भारत इतना निर्धन देश क्यों है।

दुनिया में हम गरीब नहीं हैं। सौभाग्य से भारत के पास उत्कृष्ट श्रेणी के धातुओं के स्रोत और साधन हैं। उसके पास लोहा, बेरीलियम, तांबा, एल्यूमीनियम, मैगनीज, अभ्रक आदि प्रचुर मात्रा में है। भारत के पास बेरीलियम नामक कच्ची धातु का सबसे विशाल भंडार है और वह इसे विकसित देशों को सप्लाई करता है। बेरीलियम के उत्पादों की जरूरत उपग्रह बनाने में भी पड़ती है। बेरीलियम–तांबा के मिश्रण से धातुएं बनाकर इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अनेक नायाब कमाल किये जा सकते हैं। इसी प्रकार चमत्कारिक धातु टिटेनियम के भंडार के मामले में भी भारत दुनिया में पहले नम्बर पर है। हमारे पास अनेक दुर्लभ और सामरिक महत्व की उच्च कोटि की मूल्यवान धातुएं हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में शोध विकास, उद्योग और व्यापार का सुनहरा त्रिभुज नहीं बन पाया है।

दुनिया आर्थिक युद्ध कला के नये युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युद्ध कौशल रूपी तकनीक के माध्यम से 'विश्व व्यापार

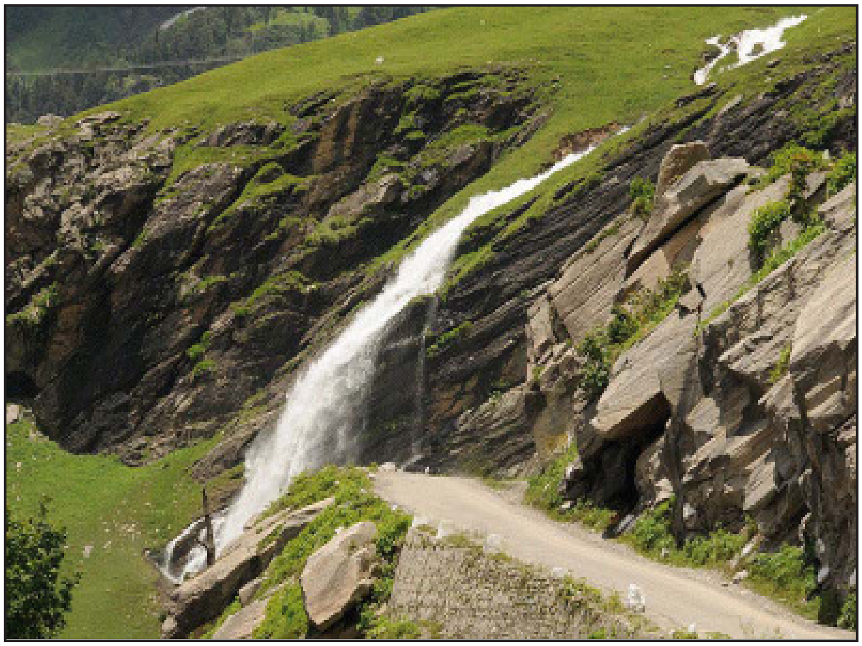

संगठन' के देश लड़ रहे हैं। यदि किसी देश के पास आवश्यक तकनीक नहीं है तो उसके प्राकृतिक साधन और स्रोत उसके लिए बेकार साबित होंगे। इसलिए यदि हमें भारत को विकसित और संपन्न देश बनाना है तो हमें तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। कच्ची धातुओं के मामले में भी भारत काफी खुशकिस्मत है। इस संदर्भ में उसका नम्बर चीन के बाद

दुनिया आर्थिक युद्ध कला के नये युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युद्ध कौशल रूपी तकनीक के माध्यम से 'विश्व व्यापार संगठन' के देश लड़ रहे हैं। यदि किसी देश के पास आवश्यक तकनीक नहीं है तो उसके प्राकृतिक साधन और स्रोत उसके लिए बेकार साबित होंगे। इसलिए यदि हमें भारत को विकसित और संपन्न देश बनाना है तो हमें तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा।

आता है। दुर्लभ मुद्राएं भी ऐसी धातुएं हैं। उनसे जुड़ी अनेक उच्च श्रेणी की तकनीकों के आगमन के बाद उन पर आधारित अनेक उत्पाद/प्रयुक्तियां सामने आयेंगी और जब उनका निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा तब भारत उनके निर्यात बाजार में शामिल हो जायेगा। छोटे टेप रिकार्डर, वाकमैन या ईयर फोन आदि इन चमत्कारिक धातुओं के कारण ही वजूद में आये हैं। यदि भारतीय इंजीनियरिंग के प्रयासों से छोटे आकार की अच्छी कृषि योग्य मोटरें इन धातुओं–चुम्बकों की मदद से बन सकीं तो हम एक दिन हर किसान को सौर ऊर्जा से चालित पम्प सेट दे सकने में समर्थ होंगे तब भारतीय कृषि के लिए एक नयी क्रांति के द्वार खुल जायेंगे और हम एक विकसित राष्ट्र को बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगें।

भारतीय भूगोल की मामूली जानकारी रखने वाला भी कोई व्यक्ति यह जानता है कि हिमालय का पूरा इलाका, उत्तर पूर्व, मध्य भारत और तटीय क्षेत्र औषधीय वनस्पतियों, पेड़ पौधों और प्राणि समूह के मामले में कितना समृद्ध है। यहां तक कि

राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट जाति के पौधे और जानवर पाये जाते हैं। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संकल्प कर लें तो कालेजों, स्कूलों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के लोग मिलकर अपने इन तमाम जैव–साधनों का पूरा विवरण तैयार कर सकते हैं। साथ ही काफी जानकारी उपलब्ध भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने तमाम जैव साधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए जैव कार्योन्मुखी योजनाएं बनाकर उनका लाभ उठायें। हमारी लम्बी तटरेखा भी हमारी समृद्ध जैव–सम्पदा का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन महासागर के प्रति हमारी उपेक्षा के कारण हमें काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इस उपेक्षा के कारण ही हम अपनी मछलियों की अल्पतम पैदावार कर पाते हैं। सागर में भाँति–भाँति की समुद्री शैवाल और घास एवं वनस्पतियां होती हैं जिसका चिकित्सीय उपयोग भी हो सकता है और भोजन की सामग्री भी तैयार की जा सकती है। इसके अलावा समुद्र में पाये जाने वाले पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जिन्हें नमकीनी क्षेत्रों में पाला जा सकता है। समुद्र भारत के लिए एक और जैव स्रोत भी सिद्ध हो सकता है। यदि हम इन स्रोतों को भलीभाँति जान समझकर उसका इस्तेमाल करना सीख जाएं।

भारत इस मामले में खुशकिस्मत है कि सारे उप महाद्वीप में ऐसे पेड़ पौधे और जड़ीबूटियां मौजूद हैं जिनमें तरह–तरह की औषधियों का उत्पादन होता है। उनका संपूर्ण और पर्याप्त अध्ययन करके अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात बढ़ाकर देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। वैदिक काल के बाद चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने क्रमशः ''चरक संहिता'' और ''सुश्रुत संहिता'' में लगभग 700 औषधियों का जिक्र किया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ–साथ विशेष प्रयोजनों के लिए काम में आती हैं। लेकिन हम अभी तक एलोपैथिक औषधियों के मोहजाल में फंसे हैं जिनका कारोबार यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं और उससे उनके देशों को भारी फायदा हो रहा है। इस स्थिति को बदलना और उलटना होगा। देश में आयुर्वेद के विकास की संभावनाएं हैं। एलोपैथिक औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण सारी दुनिया का ध्यान हमारी आयुर्वेदिक औषधियों की ओर बढ़ा है और इसका लाभ देश को उठाना चाहिए।

भारत इस मामले में खुशकिस्मत है कि सारे उप महाद्वीप में ऐसे पेड़ पौधे और जड़ीबूटियां मौजूद हैं जिनमें तरह–तरह की औषधियों का उत्पादन होता है। उनका संपूर्ण और पर्याप्त अध्ययन करके अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात बढ़ाकर देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। वैदिक काल के बाद चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने क्रमशः 'चरक संहिता' और 'सुश्रुत संहिता' में लगभग 700 औषधियों का जिक्र किया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ–साथ विशेष प्रयोजनों के लिए काम में आती हैं। लेकिन हम अभी तक एलोपैथिक औषधियों के मोहजाल में फंसे हैं जिनका कारोबार यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं और उससे उनके देशों को भारी फायदा हो रहा है।

इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल में भारत एक सम्पन्न देश था और उसकी यह सम्पन्नता दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनी और हम गुलाम हुए। लेकिन सभी जानते हैं कि प्राचीनकाल में भारत की सम्पन्नता का कारण उन्नत कृषि थी। उस समय अर्थ का प्रमुख साधन कृषि ही था। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके पास गंगा यमुना का विशाल उपजाऊ मैदान है जिसमें दुनिया का पेट भरा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण भारत ही एक ऐसा देश है जहां बारहों महीने खेती बाड़ी होती है। जबकि अधिकांश पश्चिमी देशों में खेती का समय पांच–छह महीने (मार्च से जुलाई तक) ही होता है, जब बर्फ पिघल जाती है। पर खेती बाड़ी के मामले में भी हम पिछड़े हैं। आज हमारा खाद्य उत्पादन लगभग 22 करोड़ टन है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र हमारे पास चीन से भी ज्यादा है और उत्पादन उसके आधे से भी कम है। इसे हम दोगुना कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश बनने का होना चाहिए जिसकी पूरी संभावनाएं मौजूद है। इन प्रयासों से एक नये युग का श्रीगणेश होगा, जो असंख्य देशवासियों को गांवों और छोटे–छोटे शहरों में नये–नये रोजगार और ज्यादा कमाई करने का अवसर प्रदान करेंगे और देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा। पूंजी लगाने वालों को अपनी पूंजी का बेहतर लाभ मिलेगा। इस तरह बनेगा नया भारत।

देश की अर्थव्यवस्था को शक्तिपुंज बनाने के सभी संसाधन हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी भारत की गिनती दुनिया

के सबसे पिछड़े और भ्रष्टतम देशों में है। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत ही खराब है। देश को शक्तिशाली बनाने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए उसे वह निभा नहीं पा रहा है। दरअसल राजनेताओं और मंत्रियों का जीवन जनता के लिए प्रेरक होना चाहिए। आज जो लोग सत्ता में है उनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी वह देश का राज चला रहे हैं। जो ज्ञानी और चरित्रवान हैं वे राजनीति से दूर हैं तथा इस अंधकारमय राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उनके चुने जाने की संभावनाएं भी नगण्य हैं। सत्तालोभी और चालबाज राजनीतिज्ञों के हाथों में सत्ता सौंपकर हमने भारत सबसे निर्धन और भ्रष्ट देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अपनी राजनीतिक चालाकी और धूर्तता के आधार पर चुने गये मंत्री और अपनी उच्च योग्यताओं, सच्चरित्रता तथा ध्येय के प्रति में सदस्य और मंत्रियों के रूप में दिखायी देंगे। राजशाही में किसी राजकुमार की तानाशाही सार्वजनिक कल्याण के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लोकशाही (लोकतंत्र) में एक नागरिक की उदासीनता। जब मतदाता उदासीन और तटस्थ रहेंगे तब उसका परिणाम खराब सरकार के रूप में देखने को मिलेगा। हमारी राजनीति कभी बेहतर और शुद्ध नहीं होगी और हमारा आर्थिक भविष्य कभी उज्जवल

देश की अर्थव्यवस्था को शक्तिपुंज बनाने के सभी संसाधन हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी भारत की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े और भ्रष्टतम देशों में है। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत ही खराब है। देश को शक्तिशाली बनाने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए उसे वह निभा नहीं पा रहा है। दरअसल राजनेताओं और मंत्रियों का जीवन जनता के लिए प्रेरक होना चाहिए। आज जो लोग सत्ता में है उनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी वह देश का राज चला रहे हैं। उनके सामने न तो इस राष्ट्र का कोई लक्ष्य है और न तो उसके पास किसी राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है।

उनके सामने न तो इस राष्ट्र का कोई लक्ष्य है और न तो उसके पास किसी राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। आज जो नेता हमारे पास हैं भविष्य में हम उनसे बेहतर नेताओं की आशा नहीं करते हैं। बल्कि लोग नेताओं का नेतृत्व करते हैं और इस बात की होड़ रहती है कि झूठी और चमकदार लोकप्रियता कैसे अर्जित की जाए जो छूते ही गायब हो जाती है। अपने राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौती आज हमारे सामने है। इस स्थिति को तभी बदला जा सकता है जब देश का जागरूक जनमत स्वयं उठ खड़ा हो। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लोग जो योग्य हैं, जिनमें दूर दृष्टि है, समर्पण भावना के लिए समर्पित मंत्री में वही अंतर है जो आकाश में चमकने वाली बिजली और जुगनू में होता है।

देश के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। एक ज्ञानी और अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ यह जानता है कि विकास लोगों से शुरू होता है, सामान से नहीं। इसलिए हमारे गणराज्य को तभी नवजीवन प्राप्त होगा जब तरूण बुद्धिमान और आधुनिक ढंग से सोचने वाले कुशल लोग जिनमें राजनीति से बाहर रहकर भी अच्छी कमाई करने की योग्यता हो, वे राष्ट्रीय सेवा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सेवक बनकर हमारे संसद और राज्यों के विधान मण्डलों नहीं होगा, जब तक हमारे नागरिक अपनी और देश की बेहतरी के लिए गंभीरतापूर्वक सोच विचार नहीं करेंगे। हमें ऐसे मतदाता संगठन बनाने होंगे जों गांव गांव यह प्रचार करें कि योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को ही चुने वे चाहे किसी भी दल के क्यों न हों। चुनाव के बाद भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखें कि वे जिस काम के लिए चुने गये हैं वह कर रहे हैं या नही। लोकतंत्र में जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का रक्षक और अपने एवं देश के भविष्य का निर्माता होता है। यह सवाल अन्ना हजारे या रामदेव के आन्दोलन या अनशन का नहीं है। आपके और आपके देश के भविष्य निर्माण का है। ❑

ऊंट के अस्तित्व पर खतरा

रेगिस्तान के सबसे लोकप्रिय पशु ऊंट पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसे देखकर यह तो लगता है कि ऊंट भी अब डायनासोर की भांति रेगिस्तान में दफन होने की तैयारी में है। भले ही मंथर गति से सही। इस एक दशक में ऊंट के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये ने इसकी संख्या वृद्धि को जबरदस्त बाधा पहुंचायी है। रेगिस्तान का जहाज जिसके गुणों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक दिन ऐसा आएगा जब यह दुर्लभ जीव पूर्णरूप से लुप्त हो जाएगा।

■ उमेश प्रसाद सिंह

ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। इसे सवारी भार वाहन, हल चलाने, अनाज के दाने निकालने, गाड़ी चलाने, पनचक्कियां चलाने, गन्ना पेरने अथवा कोल्हू चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः एक ही ऊंट से सभी कार्य कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने स्वामी के लिए भोजन पकाने के सिवाय ऊंट और सब काम कर लेता है। कम्बलों और अन्य गर्म कपड़ों के लिए ऊंट का बाल बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसकी दुम के लम्बे बालों से रस्सियां बनाई जाती हैं। अनेक देशों में इसका मांस खाया जाता है। इसका दूध उत्तम पौष्टिक पेय माना जाता है। ऊंट को गांव के रास्ते की पहचान होती है। रास्ते में कहीं भी चलते–चलते यदि ऊंट रूकता है तो समझ लेना चाहिए कि आसपास कहीं कुछ गड़बड़ है। रेगिस्तानी इलाकों में सीमा की सुरक्षा में ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षित ऊंट गोला–बारूद के धमाकों से निडर होकर गंतव्य स्थान पर युद्ध सामग्री बहुत कुशलता से पहुंचाते हैं।

भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। थार के रेगिस्तान को देखने विश्वभर के सैलानी आते हैं। इन पर्यटकों की सुविधा के लिए बैंक आलीशान भवनों से अब ऊंटों पर भी उपलब्ध है। मरू महोत्सव के दौरान जब पर्यटक ज्यादा संख्या में आते हैं तो पर्यटकों की सुविधा के लिए 'बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर' ने ऊंट पर रेगिस्तान में घूमकर बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी पर्यटकों को हतप्रभ कर दिया है। ऊंट खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट पोलो, ऊंट दौड़, ऊंट श्रृंगार, ऊंट नृत्य ग्रामीण अंचलों के प्रमुख खेल हैं।

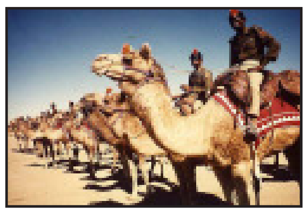

ऊंट हमारे काफी उपयोगी होने के बाद भी आज कल के दौर में विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। निरंतर घटते जंगलों, बढ़ती आबादी, चिकित्सा के अभाव में ऊंट तथा इन पर आश्रित परिवारों के सामने रोटी–रोजी का संकट खड़ा हो गया है। ऊंट पालक अपनी गरीबी के कारण ऊंट का सही इलाज नहीं करा पाते।

फिर भी ऊंट हमारे काफी उपयोगी होने के बाद भी आज कल के दौर में विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। निरंतर घटते जंगलों, बढ़ती आबादी, चिकित्सा के अभाव में ऊंट तथा इन पर आश्रित परिवारों के सामने रोटी–रोजी का संकट खड़ा हो गया है। ऊंट पालक अपनी गरीबी के कारण ऊंट का सही इलाज नहीं करा पाते। ऊंट के रोगों की दवाई भी बहुत महंगी है। मसलन ऊंट के पांव का रोग (खुजली) बहुत जल्दी हो जाती है। इसके निदान के लिए लगाने वाला इंजेक्शन 345 रुपए का आता है। यह इंजेक्शन दो महीने के अंतराल में दो बार लगाया जाता है। ऊंट पालक इजेक्शन के बदले सरसों का तेल, विभिन्न प्रकार के पावडर लगाकर काम चलाता है। ऊंट सर्रा तथा गर्भवती ऊंटनियों में गर्भ गिर जाने का रोग प्रायः आम है। निरंतर पड़ रहे अकाल के कारण ऊंट पालकों ने इन्हें बेचना आरंभ कर दिया तो कुछ पोषण के अभाव में मर रहे हैं। 1982 में देश में ऊंटों की कुल संख्या 10 लाख 7 हजार थी। सन 2004 में यह संख्या घटकर 8 लाख तीन हजार रह गई।

रेगिस्तान के सबसे लोकप्रिय पशु ऊंट पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसे देखकर यह तो लगता है कि ऊंट भी अब डायनासोर की भांति रेगिस्तान में दफन होने की तैयारी में है। भले ही मंथर गति से सही। इस एक दशक में ऊंट के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये ने इसकी संख्या वृद्धि को जबरदस्त बाधा पहुंचायी है। रेगिस्तान का जहाज जिसके गुणों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक दिन ऐसा आएगा जब यह दुर्लभ जीव पूर्णरूप से लुप्त हो जाएगा। ❑

क्या कभी चीन भारत पर आक्रमण करेगा...?

चीन जितना ताकतवर है उतना ही समझदार भी है। उसे भारत की सैन्य क्षमता का ज्ञान है उसे पता है कि यदि वह भारत के खिलाफ युद्ध करता है तो उसका नुक्सान निश्चित है। क्योंकि अब 1962 वाला समय नहीं है । भारत भी एक सशक्त देश है। महाशक्ति पद का दावेदार है इसलिए वह भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करना चाहेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका और हर बार युद्ध में उसे मुंह कि खानी पड़ी।

■ डॉ. घनश्याम वत्स

आजकल सभी न्यूज चैनल और पत्र–पत्रिकाएं जब चीन के विषय में बाते करते हैं तो उनका निष्कर्ष यही होता है कि चीन भारत के हितों के खिलाफ कार्य कर रहा है और भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। किसी हद तक यह बात सच भी है किन्तु लाख टके का सवाल है कि क्या कभी चीन भारत पर आक्रमण करेगा?

चीन इस दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला एक जिम्मेवार देश है। उस पर अपने नागरिकों के भरण–पोषण और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार हर देश को अपने नागरिकों के सुखद ओर स्वर्णिम भविष्य की कामना होती है उसी प्रकार चीन को भी अपने देश के नागरिकों के लिए संपन्नता और दुनिया में सम्मानजनक स्थान चाहिए। उसे अपने 140 करोड़ लोगों के लिए यूरोपीय देशों और अमरीका के नागरिकों के समान सुविधाएं और संसाधन चाहिए। वह वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है । जिसके लिए वह प्रयासरत भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है किन्तु उसे पता है कि केवल आर्थिक महाशक्ति बन कर वह यह सब हासिल नहीं कर सकता उसे आर्थिक के साथ–साथ राजनीतिक महाशक्ति भी बनना होगा।

उसे वर्तमान महाशक्ति अमरीका से यह ताज हासिल करने के लिए सबसे पहले दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जिस देश का अपने पड़ोसियों में ही दबदबा न हो उसे दुनिया का सिरमौर कौन मानेगा। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले उसे दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। उसे विश्व में घुलमिल कर रहेगा भारत का प्रभाव उतना ही बढ़ेगा जो कि चीन के लिए एक राजनीतिक चुनौती पेश करेगा और चीन के महाशक्ति बनने के सपने में एक बड़ी अड़चन साबित होगा ।

चीन इस दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला एक जिम्मेवार देश है। उस पर अपने नागरिकों के भरण–पोषण और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार हर देश को अपने नागरिकों के सुखद ओर स्वर्णिम भविष्य की कामना होती है उसी प्रकार चीन को भी अपने देश के नागरिकों के लिए संपन्नता और दुनिया में सम्मानजनक स्थान चाहिए। उसे अपने 140 करोड़ लोगों के लिए यूरोपीय देशों और अमरीका के नागरिकों के समान सुविधाएं और संसाधन चाहिए।

एक महाशक्ति बनना है तो उसे हर अड़ोसी–पडोसी देश खास तौर पर भारत से बीस रहना ही पड़ेगा। भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ जितना

इसलिए अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भारत को दूर करने के लिए एवं भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन ने नेपाल में माओवादिओं को बढ़ावा दिया

और नेपाल को आर्थिक सहायता बढ़ाकर वहां कि राजनीति में अपना हस्तक्षेप बढाकर भारत के प्रभाव को कम कर दिया। इसी कड़ी में चीन ने परोक्ष रूप से पकिस्तान को दोस्ती के बहाने आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक मदद देना आरम्भ किया जिसका दुरूपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है और अब एक कदम आगे बढ़कर एक तीर से दो निशाने साधते हुए चीन ने बिखरते हुए पाकिस्तान का खुलकर साथ देना प्रारंभ कर दिया है और पाकिस्तान में अमरीकी प्रभाव को भी कमजोर करना प्रारंभ कर दिया है। भारत के खिलाफ अपने इस अभियान में चीन ने श्रीलंका में भी अपने पैर जमाकर भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश की है।

किन्तु चीन दुविधा में भी है । वर्तमान महाशक्ति अमरीका के साथ जी–8, नाटो देश एवं अन्य कई देश है। जो समय–समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व मंचों पर अमरीका के निर्णयों को सही ठहराने में और उन्हें लागू करवाने में अमरीका की सहायता करते है। विपत्ति के समय हर प्रकार से अमरीका का साथ देते है एवं उसके लिए काम करते है। चीन के साथ ऐसा कोई गुट नहीं है। महाशक्ति बनने के लिए उसे भी कुछ देशों का साथ चाहिए ताकि जब वह महाशक्ति बने तो उसके भी कुछ सहयोगी हों और वह भी अमरीका की तरह अपने सभी फैसले दुनिया पर लागू करवा कर राज कर सके । इसलिए उसे जी –5 और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत कि भागीदारी भी चाहिए क्योंकि भारत को नजरंदाज करके विश्व के विषय में कोई नीति बनाना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। भारत चीनी सामान का एक बहुत बड़ा खरीदार है चीन इतने बड़े बाज़ार को भी खोना नहीं चाहेगा इन बातों को पढ़ और सुन कर लगता है कि चीन को भारत की आवश्यकता है तो वह भारत पर आक्रमण क्यों करेगा?

किन्तु चीन जितना ताकतवर है उतना ही समझदार भी है। उसे भारत की सैन्य क्षमता का ज्ञान है उसे पता है कि यदि वह भारत के खिलाफ युद्ध करता है तो उसका नुक्सान निश्चित है। क्योंकि अब 1962 वाला समय नहीं है । भारत भी एक सशक्त देश है। महाशक्ति पद का दावेदार है इसलिए वह भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करना चाहेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका और हर बार युद्ध में उसे मुंह कि खानी पड़ी तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छद्मयुद्ध (आतंकवाद) का सहारा लिया और काफी हद तक भारत की तरक्की को रोका और भारत को परेशान एवं कमजोर करने में कामयाब भी रहा। इसी बात से सबक लेते हुए चीन भी भारत के खिलाफ एक राजनीतिक युद्ध में सलग्न रहकर भारत से सीधा न उलझ कर, किसी न किसी बहाने भारत को उलझाकर रखना चाहता है । नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में उसके हस्तक्षेप इसी योजना का एक अंग है ताकि भारत इन्ही मुद्दों में उलझकर रह जाए और चीन निश्चिंत होकर दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बताते हुए अपने लक्ष्य कि और बढ़ सके है इसलिए चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कि संभावना बहुत ही कम है ।

चीन हमें अपने प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधा मानकर इसके लिए तैयारी कर रहा है तो क्या गलत है। गलत तो भारत कर रहा है इस चुनौती को अनदेखा करके। यदि भारत सशक्त एवं सजग होगा तो चीन भारत के विषय में अपनी भ्रांतियों पर पुनर्विचार करेगा एवं उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करेगा और चीन चाह कर भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं कर पायेगा।

हर देश को तरक्की करने और ऊँचे सपने देखने का अधिकार है। ऊँचा सोच कर चीन ने कुछ गलत नहीं किया है और यदि चीन भारत को अपने प्रगति के मार्ग में चुनौती के रूप में देखता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही उसे आर्थिक और सामरिक टक्कर दे सकता है। हर देश को यह चाहिए कि वह अपने प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समय से पहले पहचान कर, समय रहते उस समस्या के समाधान के लिए सही कदम उठाये। यदि चीन हमें अपने प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधा मानकर इसके लिए तैयारी कर रहा है तो क्या गलत है। गलत तो भारत कर रहा है इस चुनौती को अनदेखा करके। यदि भारत सशक्त एवं सजग होगा तो चीन भारत के विषय में अपनी भ्रांतियों पर पुनर्विचार करेगा एवं उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करेगा और चीन चाह कर भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं कर पायेगा जैसा कि वह अक्सर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके और भारत के कुछ भू–भागों पर अपना अधिकार दिखाकर एवं अन्य अनेकों प्रकार से करता रहा है। चीन द्वारा किसी भी प्रकार के दुस्साहस करने की स्थिति में भारत द्वारा पलटवार करने की क्षमता की कमी काफी लम्बे समय से अनुभव की जा रही है इसलिए भारत को हमले के लिए न सही आत्मरक्षा के लिए तो अपनी तैयारी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि एक शक्ति ही दूसरी शक्ति का सम्मान करती है। ❑

तेल की कमाई – सरकार बनी कसाई

आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमत का करीब पचास प्रतिशत सरकार के खजाने में बतौर कर जाता है। जबकि श्रीलंका में पेट्रोल के कुल कीमत का करीब सैंतीस परसेंट ही सरकार बतौर कर लेती है। पाकिस्तान जैसे खस्ताहाल देश में भी पेट्रोल की कीमत का सिर्फ तीस परसेंट सरकार के खाते में बतौर कर जाता है। पर भारत में सीन दूसरा है। कीमत का बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जा रहा है। असली मसला यह है कि पेट्रो उत्पादों के भावों के असर सिर्फ पेट्रो उत्पादों तक ही सीमित नहीं रहते। लगभग हर आइटम में परिवहन लागत शामिल होती है।

भारत में पेट्रोल की कीमत का करीब पचास प्रतिशत सरकार के खजाने में बतौर कर जाता है। जबकि श्रीलंका में पेट्रोल की कुल कीमत का करीब सैंतीस परसेंट ही सरकार कर के रूप लेती है। पाकिस्तान जैसे खस्ताहाल देश में भी पेट्रोल की कीमत का सिर्फ तीस परसेंट ही सरकार के खाते में कर के रूप में जाता है। पर भारत में सीन दूसरा है। यहां कीमत का बड़ा हिस्सा कर के रूप में सरकार के खजाने में जा रहा है।

कुछ झूठ इस कदर सफेद होते हैं कि उन्हें पचाना मुश्किल होता है पर यदि इनका सहारा न लिया जाए तो सरकार नहीं चलायी जा सकती है। हाल में पेट्रोल पर बढ़ाये गये पांच रुपये पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का कहना है कि इस बढ़ोत्तरी से सरकार का कोई लेना–देना नहीं है। यह बढ़ोतरी तो तमाम स्वायत्त सरकारी तेल कंपनियों द्वारा की गयी है। सरकारी तेल कंपनियां स्वायत्त हैं, यह बात फिलहाल मजाक से ज्यादा नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव बढ़ाने के लिए पांच राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा का इंतजार किया। ऐसा क्यों? क्या सरकारी तेल कंपनियों का इन चुनावों से कुछ लेना–देना था।

तकनीकी तौर पर देखें तो ये सरकारी कंपनियां स्वायत्त हैं, यानी कीमत बढ़ाने–घटाने को लेकर इन्हें सरकार से

■ आलोक पुराणिक

पूछने की जरूरत नहीं होती। पर ऐसा हाल में शायद ही हुआ है कि तेल के भावों का गणित बिना सरकार के पूछे बना हो। निश्चय ही हाल के चुनाव परिणामों का ताल्लुक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों

से नहीं है। लेकिन सरकार से तो है। इसलिए इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार पेट्रोल के भाव बढ़ाने से पहले तमाम राजनीतिक जोड़–भाग देख रही थी और चुनावों के पहले पेट्रोल के भाव बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। किसी और का डर भले न हो, तृमूकां अध्यक्ष ममता बनर्जी का डर तो था ही। पर अब ममताजी मुख्यमंत्री हुई जाती हैं, अतः कीमतों पर चिंता करना शायद उनकी प्राथमिकताओं में न रहे। कुल मिलाकर सरकारी झूठ के बाद भी सचाई यही है कि पेट्रोल के भाव विधानसभाओं के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। और अगर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के पूरे बयान को देखें, तो कुल मिलाकर संकेत ये हैं कि एलपीजी और डीजल के भावों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भावों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। फिलहाल औसतन ये 110 डालर प्रति बैरल पर चल रहे हैं। यानी

हाल में पेट्रोल पर बढ़ाये गये पांच रुपये पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का कहना है कि इस बढ़ोत्तरी से सरकार का कोई लेना–देना नहीं है। यह बढ़ोतरी तो तमाम स्वायत्त सरकारी तेल कंपनियों द्वारा की गयी है। सरकारी तेल कंपनियां स्वायत्त हैं, यह बात फिलहाल मजाक से ज्यादा नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव बढ़ाने के लिए पांच राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा का इंतजार किया। ऐसा क्यों?

वित्तमंत्री का तर्क है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, अंतरराष्ट्रीय हालात जिम्मेदार हैं। वित्तमंत्री के मुताबिक सरकार तो डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे रही है। केरोसिन पर 26 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी दे रही है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 320 रुपये की सब्सिडी दे रही है। मतलब यह कि सरकार तो इतना दे रही है। अब और कितना दे? अब सरकार से उम्मीद न करें। जब अंतरराष्ट्रीय हालात खराब चल रहे हैं तो पेट्रो उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए तैयार रहें। इस बात में दम है।

तर्क है कि जैसे अंतरराष्ट्रीय हालात चल रहे हैं उनसे तेल के भावों में अनिश्चितता पैदा होती है। लीबिया विश्व तेल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण देश है। वहां क्या चल रहा है और क्या चलेगा, किसी को नहीं पता। कर्नल गद्दाफी वहां आने वाले महीनों में रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब न तो गद्दाफी समर्थकों के पास है और न ही गद्दाफी विरोधियों के पास। लीबिया के तेल संसाधनों पर अगर गद्दाफी का कब्जा नहीं रहा तो वे निश्चित तौर पर अमेरिका समर्थित देशों के हाथ में आएंगे, ऐसा भी दावे से नहीं कहा जा सकता है। कई अरब देशों में लोकतांत्रिक सुगबुगाहट है। यानी तेल उत्पादक देशों में अनिश्चितता का माहौल है।

अनिश्चितता के माहौल का मतलब यह है कि भविष्य में तेल की सप्लाई एकदम सुनिश्चित रहेगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक की मई, 2011 की रिपोर्ट के आकलन को देखें तो लगता है चीन की विकास दर 9 प्रतिशत और भारत की विकास दर करीब 8 प्रतिशत रहना तेल अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी खबर है, जिसके चलते भाव ऊपर जाने के आसार हैं। जापान मंदी के दौर में चल रहा है। अमेरिका भी दो से तीन प्रतिशत सालाना का विकास करेगा। पर आपूर्ति के इलाकों में अनिश्चितता और भारत तथा चीन की विकास दर ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी के रुख रहने का संकेत किया है। ओपेक की मई, 2011 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अप्रैल, 2010 के मुकाबले कच्चे तेल के भाव अब करीब 35.76 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा हैं।

हाल के महीनों में कच्चे तेल के भाव ऊपर का ही रुख दिखा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल के भाव ऊपर की तरफ जाने का संकेत दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता को महंगे पेट्रो पदार्थों की उम्मीद करनी चाहिए। पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव लगातार नीचे जा रहे थे, तब तो भारत में पेट्रो पदार्थों के भाव कम नहीं किए गए। यूं यहां भी सरकार तर्क दे सकती है कि कीमतें कम करना–बढ़ाना स्वायत्त तेल कंपनियों के हाथों में है। पर हाल में चुनाव बाद की गयी पेट्रोल कीमतों की बढ़ोत्तरी देखकर ऐसा लगता नहीं है।

आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमत का करीब पचास प्रतिशत सरकार के खजाने में बतौर कर जाता है। जबकि श्रीलंका में पेट्रोल के कुल कीमत का करीब सैंतीस परसेंट ही सरकार बतौर कर लेती है। पाकिस्तान जैसे खस्ताहाल देश में भी पेट्रोल की कीमत का सिर्फ तीस परसेंट सरकार के खाते में बतौर कर जाता है। पर भारत में सीन दूसरा है। कीमत का बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जा रहा है। असली मसला यह है कि पेट्रो उत्पादों के भावों के असर सिर्फ पेट्रो उत्पादों तक ही सीमित नहीं रहते। लगभग हर आइटम में परिवहन लागत शामिल होती है।

यानी देर–सबेर तमाम चीजों के भाव बढ़ेंगे। सरकारी तर्क के मुताबिक इसके कारण अंतरराष्ट्रीय हैं, पर नतीजे लोकल होंगे। मंगोलपुरी और शाहदरा में सब्जी के भाव बढ़ेंगे और खास तौर पर उस आय वर्ग को बहुत तकलीफ होगी, जिनकी आय तो नहीं बढ़ती, पर खर्च बढ़ जाते हैं। राशन की दुकान एक जमाने में महंगाई से राहत दिया करती थी, पर अब वह ध्वस्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को बार–बार सरकार को डांटना पड़ रहा है कि अनाज को गोदामों में सड़ाने के बजाय उसे गरीबों में बांटा जाये। पर चूंकि निकट भविष्य में कहीं चुनाव नहीं है, इसलिए इस सलाह पर अमल होना आसान नहीं दिखता है। इसलिए आइये अंतरराष्ट्रीय महंगाई के लोकल नतीजों का इंतजार करें। ❑

खतरे में खुदरा व्यापार

छोटी–बड़ी दुकानों, रेहड़ी पटरी पर – होने वाला व्यापार
26 करोड़ लोगों के – जीने का आधार
इस पर लटक गई है देखो – विदेशी कंपनियों की तलवार

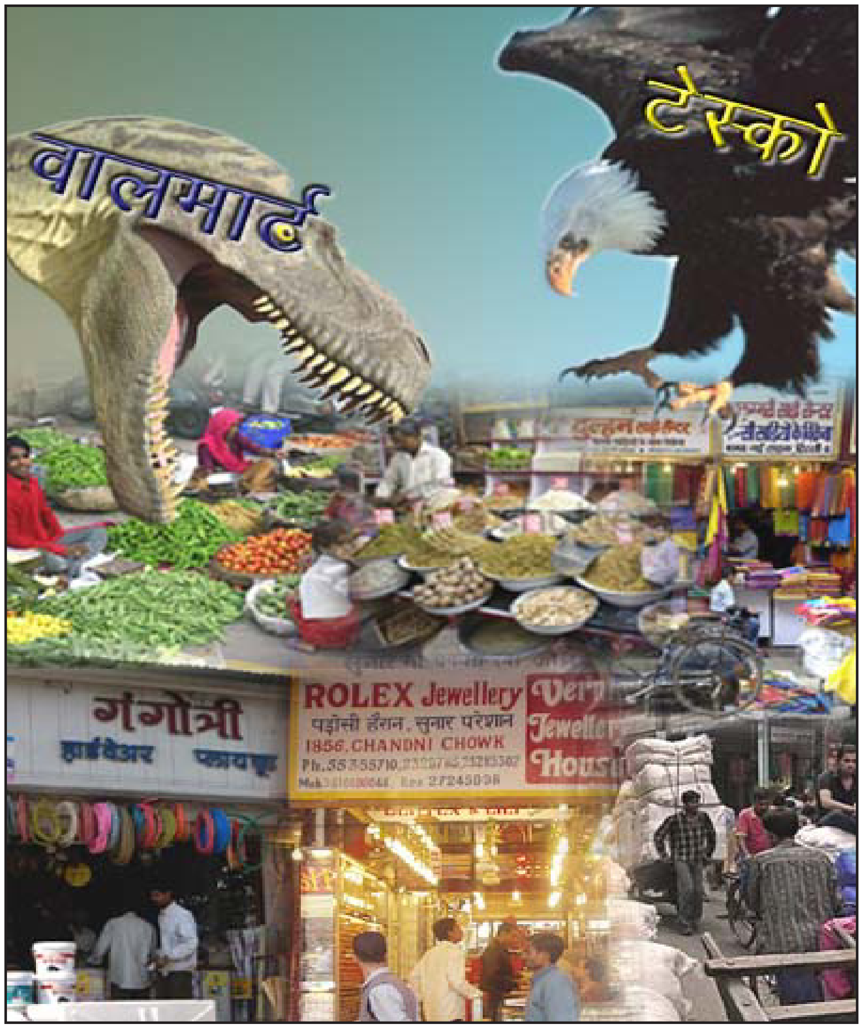

जैसा कि हम सबको विदित है कि केन्द्र सरकार खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के लिए अनुमति देने जा रही है। इस संदर्भ में मंच की उत्तर क्षेत्र की बैठक दिनांक 8 मई 2011 को जालंधर में संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघचालक डॉ. बजरंग लाल गुप्ता एवं मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल जी सहित, क्षेत्र एवं प्रांतों के सभी संयोजक एवं सहसंयोजक सहित 40 कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिनभर चली इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर दुकानदारों में जागरूकता लाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। इस अभियान में एक लाख दुकानदारों की ओर से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन की प्रति एवं दुकानदारों को दिया जाने वाले साहित्य की प्रति निम्नलिखित है।

क्या आप जानते है?

1. भारत में 1 करोड़ 20 लाख छोटी बड़ी दुकानें हैं।
2. ये दुकानें देश के 120 करोड़ लोगों को एक वर्ष में 23 लाख करोड़ रूपये का माल खरीदती/बेचती हैं।
3. लगभग 3.5 करोड़ लोग इन दुकानों पर मालिक अथवा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं तथा 1.5 करोड़ लोग इन दुकानों पर माल लाने/ले जाने व अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं।
4. इन 5 करोड़ लोगों के परिवार एवं साप्ताहिक बाजार (सोम बाजार, मंगल बाजार आदि–आदि) में लगे हुए लोगों की संख्या जोड़ ली जाए तो लगभग 26 करोड़ लोगों का जीवन यापन इन्हीं दुकानों पर निर्भर है।
5. खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को यहीं दुकानें रोजगार देती है।
6. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का लगभग 15 प्रतिशत इसी व्यापार से आता है।

भारत के व्यापार में विदेशी कंपनियों की दस्तक

1. अमरिका, यूरोप आदि के विकसित देशों ने अपनी जीवन शैली इतनी विलासितापूर्ण एवं खर्चीली बना ली है कि इनका अपने देश में ही कमाई से गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों के बाजारों पर कब्जा करके भारी कमाई करते हैं। इसी क्रम में इनकी सरकारें भारत सरकार पर दबाव डालकर यहां के बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुलवा रहे हैं। अमरिका में आई मंदी के बाद इस गति में तेजी आयी है।

2. ये कंपनियां फल, सब्जी, आटा–दाल से लेकर सोना–चांदी एवं कार तक जीवन उपयोग की सभी वस्तुएं बेचती है।
3. वालमार्ट, टेस्को, केरीफोर आदि कंपनियों ने अनेक देशों के करोड़ों दुकानदारों को व्यापार से बाहर करके उन देशों के 80 प्रतिशत तक व्यापार अपने कब्जे में कर लिया है।
4. भारत का 97 प्रतिशत व्यापार करोड़ों दुकानदारों के द्वारा ही किया जाता है। अभी तक इस व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति नहीं मिली हुई है। किंतु इन विदेशी कंपनियों की गिद्ध दृष्टि लगातार हमारे व्यापार पर कब्जा करने के लिए लगी हुई है।
5. केंद्र की यू.पी.ए. सरकार देश के कुछ प्रांतों के हुए विधानसभा चुनावों उपरांत अब विदेशी कंपनियों को आने की अनुमति देने जा रही है।

विदेशी कंपनियों के क्या तर्क हैं?

1. विदेशी कंपनियों के आने से उपभोक्ता को सस्ता एवं अच्छी गुणवत्ता का माल मिलने लगेगा।
2. इन कंपनियों में नौकरी करके रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
3. बिचौलियों से छूटकारा मिलेगा।
4. भंडारण एवं वितरण में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

सच्चाई क्या है ?

1. इन्हीं तर्कों के साथ देश के शीतल पेय के बाजार में कुछ वर्ष पूर्व पेप्सी कोला एवं कोका–कोला कंपनी आई थी। आज स्थिति यह है कि शीतल पेय का 95 प्रतिशत बाजार इन कंपनियों ने कब्जा करके देश के करोड़ों शीतल पेय निर्माताओं (केम्पा–कोला, स्थानीय ब्रांड वाले शीतल पेय, कन्चे वाली बोतल, जूस, गन्ने का रस, शिकंजी, सोड़ा, लस्सी, बेल का शरबत आदि–आदि) को बर्बाद कर दिया।
2. ये कंपनियां बिचौलियों (इनको देश सम्मान

प्रधानमंत्री को ज्ञापन

खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश को अनुमति न देने के बारे में ज्ञापन

हम आपका ध्यान हाल ही में छप रहे समाचारों की ओर आकर्षित करना चाहते है, जिनमें कहा गया है कि आपकी सरकार शीघ्र ही खुदरा व्यापार को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की अनुमति देने जा रही है। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं को आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है –

(1) आपको विदित ही है कि देश का खुदरा व्यापार लगभग 1 करोड़ 20 लाख दुकानों के माध्यम से 26 करोड़ लोगों को रोजी–रोटी प्रदान कर रहा है। कृषि के उपरांत खुदरा व्यापार ही सबसे ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

(2) खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने के संबंध में संसद द्वारा गठित संसदीय समिति ने दिनांक 9 जुलाई 2009 को लोकसभा की पटल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस मुद्दे पर कड़ा विरोध प्रकट किया था। सरकार इस रिपोर्ट को अनदेखा करके एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट को महत्व दे रही है। जिसने देश भर में मात्र 2018 दुकानदारों का सर्वे किया है।

(3) एक ओर तो कृषि मंत्री लोकसभा में स्वीकार कर चुके है कि 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि कृषि से आजीविका कमा रहे लोगों की संख्या घटानी पड़ेगी। देश का लघु उद्योग विदेशी कंपनियों के उत्पाद एवं आयातित माल के कारण भारी दबाव में है तो ऐसी स्थिति में सरकार करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले ''खुदरा व्यापार क्षेत्र'' को विदेशी कंपनियों के लिए क्यों खोलने जा रही है? अन्य देशों के यहां भी इन कंपनियों के संबंध में अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। जिस कारण वहां की सरकारों ने इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिए है।

(4) स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है कि देश में **लघु किसान – लघु व्यापार – लघु उद्योग** बचेगा, तभी देश भी बचेगा। बेहतर प्रबंधन, गुणवत्ता एवं संगठित करने की आड़ में इनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना कहां तक उचित है? ऐसी स्थिति में भारी बेरोजगारी फैलेगी, जिसके फलस्वरूप देश में अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी संकट खड़े हो जायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि खुदरा व्यापार के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को अनुमति न दी जाए। अन्यथा मजबूर होकर इस क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोगों को अपनी रोजी–रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आशा है कि आप इस संबंध में समुचित कार्यवाही करेंगे।

से व्यापारी कहता है।) को हटाने की बात करती है किंतु स्वयं फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों को सैकड़ों करोड़ रूपये तथा टेलीविजन चैनल को 1 लाख रूपये प्रति सेकण्ड की दर से विज्ञापन के लिए भुगतान करती है। क्या ये लोग बिचौलिए नहीं है?

3. अभी जो मुनाफा देश के 26 करोड़ लोगों में स्वभाविक रूप से बट जाता है। इन कंपनियों के आने से उससे कई गुणा ज्यादा मुनाफा मात्र 3 लोगों (कंपनी, फिल्मी सितारे/खिलाड़ी एवं टी.वी. चैनल) में ही बंटेगा। इसका अंतिम बोझ ग्राहक पर ही पड़ेगा।
4. अन्य देशों में इन कंपनियों का इतिहास यह बताता है कि ये पहले तो सस्ता माल बेच कर वहां ही दुकानों को बंद करवा देते है फिर ग्राहक को भी मनमाना लूटते है।
5. यूरोप में करीब 4 लाख दुकानें इन्हीं कंपनियों के कारण बंद हो गई है। अमरिका के किसानों की आय 10 प्रतिशत कम हो गई है। वालमार्ट ने अपना माल चीन से खरीदना शुरू कर दिया जिस कारण अमरिका का व्यापार घाटा बढ़ गया तथा 5 लाख लोग भी बेरोजगार हो गए। जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने अपने दुकानदारों को बचाने के लिए वालमार्ट जैसी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया। चीन, थाईलैंड व मलेशिया की सरकारें इन कंपनियों से बचने के लिए रास्ते तलाश रही हैं।
6. देश की संसद के द्वारा गठित संसदीय समिति ने दिनांक 8 जून 2009 को इस संबंध में विदेशी कंपनियों को भारत में अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए अपनी रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी थी। किंतु उस रिपोर्ट को सरकार दरकिनार करके एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट को महत्व दे रही है। इक्रियर नाम की इस एजेंसी ने देश भर में मात्र 2018 दुकानों का सर्वे किया है। यह एक संयोग है कि इस एजेंसी को विदेशी कंपनियों के सबसे बड़े पेरोकार श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया (योजना आयोग के उपाध्यक्ष) की धर्मपत्नी चलाती हैं।

भारत में खतरा क्या है ?

1. देश में ज्यादातर दुकानदार स्वयं के द्वारा ही जुटाई गयी बहुत कम पूंजी से अपना व्यापार चलाते हैं। दूसरी ओर बड़ी कंपनियों को बहुत कम ब्याज पर बैंकों से बड़ी–बड़ी राशि मिल जाती है। इस कारण बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबले में वे टिक नहीं पाएंगे।
2. करोड़ों की संख्या में ये छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। जिसके कारण हत्या, आत्महत्या एवं लूटपाट बढ़ेगी तथा देश में अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी संकट खड़े हो जाएंगे।
3. कांट्रेक्ट खेती के नाम पर किसानों का तथा सस्ता माल खरीदने के नाम पर ये कंपनियां उद्योगों का भी भारी शोषण करेगी।
4. भारी मुनाफा कमाकर ये कंपनियां देश का धन बाहर ले जायेगी।

सरकार से हमारी मांग

1. खुदरा व्यापार खोलने से पहले देश भर में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से एक बहस चलायी जाए कि आम व्यापारी इस बारे में क्या सोचता है।
2. सिंगल ब्रांड रिटेलिंग के क्षेत्र में अभी तक जिन कंपनियों को पिछले वर्षों में अनुमति दी गयी है उसके संबंध में अब तक देश को हुए लाभ हानि का लेखा जोखा (श्वेत पत्र) सरकार शीघ्र जारी करे। (जैसे शीतल पेय में कोका–कोला, पेप्सी–कोला, खाद्यान्न में कारगिल कंपनी, आदि–आदि)
3. बड़ी कंपनियों के आने से लगभग 17 करोड़ लोगों की दुकानदारी एवं रोजगार बिल्कुल खत्म हो जायेगी, उनके पुनर्वास के लिए क्या योजना है।
4. 28 जुलाई 2010 को दिल्ली के कंस्टीटयूशन क्लब में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि कृषि से आजीविका चलाने वाले लोगों की संख्या घटानी पडेगी, लघु उद्योगों में ओर अधिक लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता अपितु लोगों को निकाला जा रहा है। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे है, दूसरी तरफ छोटे लघु उद्योगों को विदेशी कंपनियों के उत्पाद एवं आयातित माल बर्बाद कर रहा है तो ऐसी स्थिति में खुदरा व्यापार में भी विदेशी कंपनियों को बुलाकर करोड़ों लोगों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है?

:: हमारा संकल्प ::

''लघु किसान – लघु व्यापार – लघु उद्योग बचेगा तो – बचेगा देश – बचेगा देश''

''घर–घर ले जाएंगे – हम यह संदेश''

आईये हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करके स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित होकर करोड़ों लोगों के रोजगार की रक्षा करने में भागीदार बनें।

इस संबंध में निम्नलिखित वेबसाइट एवं फेसबुक– swadeshijagranmanch पर संपर्क करें।

सरकार ने उड़ाया लोकतंत्रा का मजाक

वर्तमान समय में किसी सरकार का ऐसा दमनकारी आचरण अकल्पनीय है। हरिद्वार पहुंचने के बाद रामदेव को बिलखते देखने वाले यह कल्पना कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा? विडंबना देखिए, 5 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ मनाई जाती है। निश्चित तौर पर सरकार के मंत्री, पुलिस और प्रशासन के व्यवहार ने आपातकाल की सिहरन भरी यादें ताजा कर दी हैं।

■ अवधेश कुमार

बाबा रामदेव का अनशन आरंभ होने से पहले अन्ना हजारे ने कहा था कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और वह बाबा रामदेव को भी धोखा देगी। अब रामदेव का बयान भी यही है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। वर्तमान समय में किसी सरकार का ऐसा दमनकारी आचरण अकल्पनीय है। हरिद्वार पहुंचने के बाद रामदेव को बिलखते देखने वाले यह कल्पना कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा?

विडंबना देखिए, 5 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ मनाई जाती है। निश्चित तौर पर सरकार के मंत्री, पुलिस और प्रशासन के व्यवहार ने आपातकाल की सिहरन भरी यादें ताजा कर दी हैं। तब पुलिस ने रातोंरात विपक्ष के नेताओं को बंदी बना लिया था। उन पर ऐसी धाराएं लगाई गईं, मानो वे देशद्रोही हों। हम स्वामी रामदेव के सभी विचारों से सहमत हों या न हों, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने देश के लिए आवाज उठाई और जो रास्ता अपनाया था उसमें कानून का भी उल्लंघन नहीं था।

सच यह है कि इस समय देश में काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर आम जन में तीव्र आक्रोश है। रामदेव के अभियान से केवल उसका प्रकटीकरण हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने अगर सरकार के खिलाफ हिंसक संघर्ष का आह्वान किया होता तब राज्य के ऐसे आचरण के खिलाफ देशव्यापी तीव्र क्षोभ एवं आक्रोश का वातावरण नहीं बनता। एक शत–प्रतिशत अहिंसक सत्याग्रह को हिंसा से कुचलने वाली सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। सरकार का रवैया आतंक पैदा करने वाला है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा सरकार का प्राथमिक दायित्व है और यह स्वीकार करने में किसी संविधानविद् को आपत्ति नहीं है कि केवल रामदेव नहीं, उनका साथ देने वाले सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदा गया है।

पुलिस ने रातोंरात विपक्ष के नेताओं को बंदी बना लिया था। उन पर ऐसी धाराएं लगाई गईं, मानो वे देशद्रोही हों। हम स्वामी रामदेव के सभी विचारों से सहमत हों या न हों, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने देश के लिए आवाज उठाई और जो रास्ता अपनाया था उसमें कानून का भी उल्लंघन नहीं था।

आतंक के राज्य का इससे ज्वलंत नमूना कुछ नहीं हो सकता। बाबा की मांगें क्या थीं? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा हो तथा उनके मुकदमे की निश्चित समयसीमा के अंदर सुनवाई पूरी हो, शिक्षालयों में अध्ययन राष्ट्रीय या स्थानीय भाषा में दिया जाए आदि। इनमें भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा हो या न हो, उस पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन शेष मुद्दों पर देश में आम सहमति है। इस दृष्टि से सरकार का अनशन को जबरन बंद करने और लोगों को पीटकर वहां से बाहर करने का आचरण आम जनता की सामूहिक चाहत के विरुद्ध है।

आपने अपना दायित्व नहीं निभाया और जब दायित्व की याद दिलाने के लिए कोई कानून की सीमा में रहते हुए खड़ा हुआ तो उसे कुचल डाला! लोग इस कारण भी हैरत में हैं कि कुछ घंटे पहले तक समझौते के लिए बाबा से बातचीत करने वाली सरकार अचानक क्यों बौखला गई? क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री षड़यंत्रकारी रणनीति के तहत रामदेव से बातचीत कर रहे थे? बातचीत के बाद मंत्रियों के बयान से यह संदेश निकल रहा था कि सरकार उनकी मांगों से लगभग सहमत हैं। रामदेव ने भी अपने बयान में इसका संकेत दिया था कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। अगर सहमति थी तो फिर इस प्रकार अर्धरात्रि के बाद पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर पूरा देश जानना चाहेगा।

अगर असहमति भी थी तो भी इस प्रकार के व्यवहार का कोई आधार नहीं हो सकता। रामदेव के साथ हुई तथाकथित सहमति का पत्र जारी करने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि उनकी छवि धूमिल कर उनका जन समर्थन घटाया जाए एवं समर्थकों में फूट डालकर उन्हें कमजोर किया जाए।

अगर यह सच है तो फिर इसे साजिश के सिवा और क्या कहा जा सकता है? रामदेव के साथ धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ दंगा, सरकारी संपत्ति नष्ट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा किया गया है। पुलिस ऐसा सामान्यतः करती है, लेकिन सवाल यह है कि दंगा आंदोलनकारियों ने फैलाया या सरकारी मशीनरी ने? यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सोनिया गांधी की सहमति के बगैर ऐसी कार्रवाई हुई होगी। इस प्रकार इसे सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी की सम्मिलित कार्रवाई कह सकते हैं।

बाबा की मांगें क्या थीं? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा हो तथा उनके मुकदमे की निश्चित समयसीमा के अंदर सुनवाई पूरी हो, शिक्षालयों में अध्ययन राष्ट्रीय या स्थानीय भाषा में दिया जाए आदि। इनमें भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा हो या न हो, उस पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन शेष मुद्दों पर देश में आम सहमति है। इस दृष्टि से सरकार का अनशन को जबरन बंद करने और लोगों को पीटकर वहां से बाहर करने का आचरण आम जनता की सामूहिक चाहत के विरुद्ध है।

आपातकाल के समय भी सरकार एवं कांग्रेस में भेद ढूंढना मुश्किल था। आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस एवं सरकार में अनुभवी नेताओं के होने के बावजूद ऐसी कार्रवाई हुई है। वस्तुतः यह अंदर से डरी हुई और अपने भविष्य को लेकर आशंकित सत्ता का आचरण है।

माना जाता है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने भी भय मनोविज्ञान के तहत ही आपातकाल लागू किया था। भयग्रंथि की शिकार सरकार से मानवीय गरिमा की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश में काला धन एवं भ्रष्टाचार ही नहीं, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जो खींझ है उसके कारण इसका भयग्रस्त होना स्वाभाविक भी है। ऐसी सरकार देश के लिए घातक साबित होगी।

जाहिर है, सरकार के इस बर्बर रवैये की केवल निंदा पर्याप्त नहीं है, इसका सक्रिय विरोध होना चाहिए। जो सरकार किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान के बजाय उसका दमन करती है, किसी नागरिक की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती, न्यायसंगत मांग को स्वीकार करने की बजाय उसे हिंसक शक्ति से कुचलने का अपराध करती है, वह शासन का नैतिक अधिकार खो बैठती है। केवल यह कहकर चुप बैठना उचित नहीं कि सरकार ने अपनी कब्र खोदने की शुरुआत कर दी है। इसकी निंदा तक सीमित रहना भी उचित नहीं। हमें, आपको यह तय करना है कि ऐसी सरकार के साथ एक सजग नागरिक के रूप में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ❑

दिनांक : 5 जून 2011 समय : प्रातः 8.00 बजे

सरकार की बर्बरतापूर्वक कार्यवाही

दिल्ली के रामलीला मैदान में स्वामी रामदेव द्वारा लोकतांत्रिक रूप से किये जा रहे आन्दोलन को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा की गई अलोकतांत्रिक एवं बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की स्वदेशी जागरण मंच घोर निन्दा करता है। बाबा रामदेव विदेषां में जमा कालेधन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की एवं अन्य मांगों को लेकर 4 जून 2011 से अनिष्चित काल के लिये अनषन पर बैठे थे।

आज सम्पूर्ण भारत वर्ष के लोग भ्रष्टाचार विषेष रूप से वर्तमान केन्द्र सरकार के कार्य काल में हुये 2–जी स्पेक्ट्रम एंव कामनवेल्थ खेलों में हुये विषालतम भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलनरत हैं। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय लोकतांत्रिक रूप से किये जा रहे आन्दोलनों का बलपूर्वक दमन करने पर उतारू हुई है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सरकार जनता को भ्रष्टाचार एवं देष को लूट से बचाने की बजाय कालेधन व भ्रष्टाचारियों के संरक्षक रूप में कार्य कर रही है।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि प्रष्न केवल केवल बाबा रामदेव पर की गई कार्यवाही का नही है बल्कि वास्तविक मुद्दा देष में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सैंकडों लाख करोड़ रूपए के कालेधन का है। जिसकी मात्रा देष की राष्ट्रीय आय के 6 गुना से भी अधिक है।

सरकार की वर्तमान कार्यवाही देष की समस्त लोकतांत्रिक शक्तियों के सम्मुख एक चुनौती है। यह कार्यवाही हमे जलियांवाला बाग की याद दिलाती है, जिसमे तत्कालिन ब्रिटिष सरकार ने लोकप्रिय जन आन्दोलन को कुचलने कि कोषिष की थी । स्वदेषी जागरण मंच देष के लोगों को, 1975 में तत्कालिन कांग्रेस सरकार द्वारा देष में लगाये गये आपात काल के बारे में याद दिलाना चाहता है जिसमें लोखों लोगों को बिना कारण ही 19 माह के लिये जेलों में ठूस दिया गया था।

स्वदेषी जागरण मंच देष की समस्त लोकतांत्रिक षक्तिों का आवाहन करता है कि अपने वर्तमान कार्यक्रमों को स्थगित करते हुये देष की लोकतांत्रिक धरोहर को बचाने हेतु आन्दोलन में जुट जाएं।

स्वदेषी जागरण मंच सरकार से मांग करता है कि बाबा रामदेव को सम्मानपूर्वक रिहा करने के साथ–साथ देष व जनता से बिना षर्त अविलम्ब माफी मांगें ओर कालेधन का राष्ट्रीयकरण करने के लिये अध्यादेष लावें। साथ ही देष की जनता को विष्वास दिलावें की गरीबों व पिछड़ों के उत्थान के लिये विदेषों मे जमा कालाधन वापस लाया जाएगा। स्वदेषी जागरण मंच अपने समर्थकों एवं सदस्यों का आह्वान करता है कि बाबा रामदेव के सर्मथन में एवं भ्रष्टाचार, कालेधन व सरकार के बरर्बता पूर्ण कृत्यों के विरूद्ध षांतिपूर्वक आन्दोलन करें।

उज्जैन के विचार वर्ग का सारांश 3–5 जून 2011

स्वदेशी आंदोलन की सार्थकता सम्पूर्ण मानवता के लिए

मंच जो विषय उठाता था तो लोग कहते थे कि आपके विषय लोगों की समझ मे नहीं आते हैं लेकिन आज वही विषय राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं। आज खुदरा व्यापार, विदेशी निवेश, बांझ बीज ओर कृषि को लेकर जगह जगह आन्दोलन हो रहे हैं। देश का बहुसंख्यक समाज खेती पर निर्भर है लेकिन भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है। – कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय संगठक

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की सार्थकता भारत के लिए ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व की मानवता के लिए है। हम हर क्षेत्र में स्वावलम्बी बनेंगें तो सांस्कृतिक मूल्यों, पारंपरिक संस्कारों, मान्यताओं, कुटीर और लघु उद्योगों तथा देश की अस्मिता को बचा पाएंगे। डॉ शर्मा सरस्वती शिशु मंदिर ऋषिनगर, उज्जैन में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के तीन दिवसीय क्षेत्रीय विचार वर्ग (उज्जैन) के समापन अवसर पर बोल रहे थे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि आज दुनिया की आबादी का छठा भाग भारत में निवास करता है, लेकिन आजादी के बाद जो आर्थिक नीतियां बनीं, उनसे आम आदमी का दूर–दूर तक का कोई वास्ता नही था। देश में आर्थिक माफिया पैदा करने का श्रेय 1947 से 1997 के बीच बनी सरकारों को जाता है। आज सरकार जिस ढंग से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वागत में पलक बिछाए हुए है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय कम्पनियों का सभी क्षेत्रों में वर्चस्व रह पाएगा। उन्होंने कहा कि 24 देशों की 67 हजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को कब्जाने के प्रयास में ही नहीं है बल्कि हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिये भी कुचक्र रच रही है।

विचार वर्ग में अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच जो विषय उठाता था तो लोग कहते थे कि आपके विषय लोगों की समझ मे नहीं आते हैं लेकिन आज वही विषय राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं। उन्होने कहा कि खुदरा व्यापार, विदेशी निवेश, बांझ बीज ओर कृषि को लेकर जगह जगह आन्दोलन हो रहे हैं। देश का बहुसंख्यक समाज खेती पर निर्भर है लेकिन भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का आधार खेती ओर खुदरा व्यापार है लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि है। अगर खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आएगा तो रोजगार संकट ओर बढ़ जाएगा।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश, भूमि अधिग्रहण ओर मुक्त व्यापार विषय पर बोलते हुए अर्थशास्त्री एवं अखिल भारतीय विचार मण्डल प्रमुख डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि देश की राष्ट्रीय आय (जीडीपी) में कृषि का हिस्सा 14 प्रतिशत है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ताजा आंकडों के अनुसार जीडीपी में खुदरा व्यापार का हिस्सा भी 14 प्रतिशत है। यानि जीडीपी में कृषि व खुदरा व्यापार का बराबर हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश के 5 करोड़ लोग खुदरा व्यापार से जुड़े हैं तथा 25 करोड़ आबादी की रोजी रोटी इससे चलती है। सरकार लगातार खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश कराने के प्रयास में लगी है। खुदरा व्यापार की तरह ही सरकार कृषि को भी चौपट करने पर तुली है। किसानों से जमीन अधिग्रहित कर बड़ी बड़ी कम्पनियों को गैर कृषि कार्य के लिए दी जा रही है। अगर एक हजार हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाती है तो 900 किसान प्रभावित होने के साथ ही 768 खेतिहर मजदूर बेरोजगार होते है।

विचार वर्ग में अर्थशास्त्री डॉ. रामप्रताप गुप्ता ने कहा कि विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों की लूट आज भी यथावत जारी है। उन्होंने कहा कि पंद्रहवीं ओर सोलहवीं शताब्दी में भारत एवं चीन की आय अमेरिका व यूरोप के देशों से अधिक थी लेकिन कालांतर में आर्थिक नीतियों के चलते हम पिछड़ते गए।

भ्रष्टाचार व कालाधन विषय पर बोलते हुए राज्य सभा सदस्य श्री रघुनन्दन शर्मा ने कहा कि आज समाज में भ्रष्टाचार बहस का मुद्दा है ओर इसे दृढ इच्छाशक्ति के बल पर ही रोका जा सकता है। तीन दिन चले विचार वर्ग में मध्यभारत 14, मालवा 22, महाकौशल 18, छत्तीसगढ़ 22, गुजरात 22 व महाराष्ट्र के 9 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस वर्ग की विशेषता यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति की भी भागीदारी रही। समापन समारोह के अवसर पर वर्ग का प्रतिवेदन वर्ग संयोजक श्री मनोज द्विवेदी इन्दौर तथा प्रस्तावना वर्ग प्रमुख श्री भरत व्यास ने रखी, व्यवस्था परिचय श्री अशोक शर्मा ने तथा आभार प्रदर्शन श्री जसमत सिंह परमार ने किया। ❑